दैनिक **नवप्रदेश**

प्रदेश के साथ पूरा देश...

www.navpradesh.com | रायपुर, बुधवार 16 दिसंबर 2020, शुक्ल पक्ष द्वितीया, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-282 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए | रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

बासी कढ़ी में भी उबाल आ गया। समाजिक कार्यकर्ता वयोवृद्ध अन्ना हजारे ने भी आखिरकार किसानों के आंदोलन के समर्थन में अनशन करने की घोषणा कर दी। अच्छा है। जब सारे नकारे हुए नेता बहती गंगा में हाथ धो रहे है और किसानों के सांझा चूल्हा में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे है तो गुमनामी के अंधेरों में गुम अन्ना हजारे भला क्यों पीछे रहे? बाकी सब तो ठीक है लेकिन डर बस इस बात का है कि अन्ना हजारे के किसानों के आंदोलन में कूद जाने से इन किसानों के बीच से ही कोई और नया अरविंद केजरीवाल पैदा न हो जाए?

हाई-टेक बस स्टैंड से यात्रियों के लिए आवागमन सुविधाजनक होगा: भूपेश

बस स्टैंड में 8 टिकट घर, पुलिस सहायता केंद्र सहित 49 दुकानें होंगी संचालित

■ **मुख्यमंत्री ने 3.18 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित सूरजपुर के हाईटेक बस स्टैंड का किया लोकार्पण**

रामजी साहू

सूरजपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जिला मुख्यालय सूरजपुर में 3 करोड़ 18 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित हाई-टेक बस स्टैंड का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हाई-टेक बस स्टैंड के बनने से यात्रियों के लिए आवागमन सुविधाजनक होगा। उच्च शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव एवं विधायक भटगांव पारसनाथ राजवाड़े तथा नगरपालिका अध्यक्ष के.के. अग्रवाल शामिल हुये।

■ शेष पृष्ठ 6 पर

हाईटेक सुविधाओं से लेस है, जिले का नवीन बस स्टैण्ड

हाईटेक बस स्टैण्ड में 20 बसों के एक साथ खडे होने की क्षमता वाले बस यार्ड, 08 टिकट घर, पुलिस सहायता केन्द्र, पूछताछ केन्द्र के साथ-साथ महिला एवं पुरूष प्रसाधन का निर्माण किया गया हैं। साथ ही भूतल पर 43 एवं प्रथम तल पर 06 दुकान कुल 49 दुकानों का निर्माण किया गया है। बस स्टैण्ड के सामने पार्क के साथ-साथ पार्किंग व्यवस्था, नाली, टैक्सी पार्किंग, रिटेनिंग वॉल का निर्माण प्रस्तावित हैं तथा हाईटेक बस स्टैण्ड परिसर में सुलभ शौचालय का कार्य प्रगति पर हैं।

भूपेश बघेल ने विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सवेरे सर्किट हाउस सूरजपुर में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बघेल ने सभी समाज एवं संगठन प्रमुखों से बड़ी आत्मीयता से बात करते हुए समाजों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना तथा उनके निदान करने के लिए उचित पहल का आश्वासन दिया। मुलाकात के दौरान पण्डो समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री बघेल को तीर धनुष भेंट किया।

दो साल में दिखने लगी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की सफलता

■ **भाजपा शासनकाल में छत्तीसगढ़ की लगभग विलुप्त हुई प्रदेश की संस्कृति व धरोहर**

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के बनने के बाद से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नारा की सफलता अब दूर से दिखाई देने लगी है। यह सफलता सरकार ने जनता के विश्वास पर खरा उतरकर हासिल की है। छत्तीसगढ़ के मूल लोगों के अभिमान की बात हो या स्वाभिमान की श्री बघेल इसका एहसास कराने में सफल रहे है। उक्त बातें मंगलवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेसवार्ता में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहीं। ■ शेष पृष्ठ 6 पर

मुख्यमंत्री ने दिया नया नारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़

राजधानी रायपुर स्थित रेडक्रास सोसायटी भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में मंत्री श्री चौबे ने मीडिया को भूपेश सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आते ही मुख्यमंत्री श्री बघेल ने एक नारा दिया था हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इस नारा को मिली सफलता अब दूर से भी दिखाई देने लगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के उम्मीद पर खरी उतरी भूपेश सरकार पर जिस तरह से लोगों ने विश्वास जताया है कि उसके बाद अब भूपेश है तो भरोसा है का नारा बन गया है।

खास- खबर

संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा

नई दिल्ली (वार्ता)। सरकार ने विपक्ष की संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने की मांग को आज खारिज कर दिया और पूछा कि मानसून सत्र को जल्दी समाप्त करने की मांग करने वाली कांग्रेस शीतकालीन सत्र की मांग क्यों कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने यहां स्पष्ट किया कि संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा बल्कि सीधे बजट सत्र बुलाया जाएगा। श्री जोशी ने कहा कि उन्होंने बहुत से लोगों से चर्चा की थी कि दिल्ली में कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं तो क्या सीधे संसद का बजट सत्र ही बुलाया जाये। इस पर बहुत से नेताओं ने उन्हें सलाह दी है कि चूंकि हाल ही में संसद का मानसून सत्र आयोजित किया गया था इसलिए हम सीधे बजट सत्र का आयोजन करें।

दुनिया में सबसे आकर्षक एफडीआई नीति है भारत की: पीयूष

नई दिल्ली (वार्ता)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करते हुए मंगलवार को कहा कि देश में कारोबार की नयी संभावनाएं बन रही है।श्री गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सीआईआई भागीदारी 2020 सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि देश में विदेशी निवेशकों का स्वागत है। उनके लिए अनुकूल नीतियां बनायी गयी है और इनमें लगातार परिवर्तन होता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार सुधार की राह पर है और बाजारों को वैश्विक निवेशकों के लिए खोला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में एफडीआई लगातार बढ़ रहा है। देश की एफडीआई नीति दुनिया में सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। अप्रैल से सितंबर 2020 की अवधि में कुल एफडीआई 40 अरब डालर रहा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।

भारत ने यूएन में कहा

कोविड-19 से निपटने का सही तरीका, एक दूजे का सहयोग

नई दिल्ली(वार्ता)। भारत ने कहा कि उसके टीके का उत्पादन और उसकी वितरण क्षमता से सारी मानवता को कोविड-19 संकट से निपटने में मदद मिलेगी, जिसने वैश्विक सहयोग में दूरी को उजागर किया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग के साथ बिना किसी भ्रम के वैश्विक महामारी से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के कोविड-19 पर विशेष सत्र को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) विकास स्वरूप ने सोमवार को कहा कि मौजूदा कोरोना वायरस संकट ने बहुपक्षीय संगठनों के वैश्विक सहयोग और शासन संरचनाओं के बीच अंतराल को ''उजागर किया है। उन्होंने कहा, '' यह महत्वपूर्ण है कि हम सुधार किए गए बहुपक्षवाद को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएं। जरूरी है कि महामारी से निपटने के लिए हमें नेतृत्व, एकजुटता और सहयोग दिखाने के लिए हाथ मिलाना होगा। हम सहयोग, बिना भ्रम, तैयारी के साथ, बिना घबराए और पृथक होने की बजाया एक साथ आकर इससे सबसे अच्छी तरीके से निपट सकते हैं।

स्वरूप ने कहा, '' अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के तौर पर, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि भारत की टीका उत्पादन तथा वितरण क्षमता सारी मानवता को इस संकट से निपटने में मदद करेगी।

विरोध प्रदर्शन करने वालों की आवाज दबाती है मोदी सरकार : राहुल

नई दिल्ली(वार्ता)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर किसान आंदोलन की अनदेखी करने का आरोप लगते हुए आज कहा कि वह जनता की समस्याओं का समाधान करने की बजाय सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के हितों को महत्व देती है। श्री गांधी ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ अपने हितों के लिए समाज का जो भी वर्ग विरोध करता है सरकार उनकी चिंता को दूर करने की बजाय उन्हें देशद्रोही, नक्सली, कोरोना वाहक या खालिस्तानी कहकर उनकी आवाज दबाने का प्रयास करती है। श्री गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार के लिए - विरोध प्रदर्शन करनेवाले छात्र राष्ट्रविरोधी हैं।

मोदी ने किया दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का शिलान्यास

भुज(वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने गृह राज्य गुजरात के कच्छ क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान विश्व के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क (नवीकरणीय ऊर्जा पार्क) का शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री ने समुद्र के खारे पानी को पीने तथा अन्य उपयोग योग्य बनाने वाले चार डिसेलिनेशन प्लांट का भी कच्छ के धोरडो स्थित टेंट सिटी से ई शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री भुज हवाई अड्डे से सीधे धोरडो पहुंचें और कच्छ की सरहद पर स्थित बड़े रण में सौर एवं पवन ऊर्जा के दुनिया के सबसे बड़े 30 हजार मेगावाट क्षमता का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का वर्चुअल तरीके से भूमिपूजन किया। लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए के निवेश वाला यह संयंत्र 70 हज़ार हेक्टेयर से भी अधिक में फैला होगा और बहरीन और सिंगापुर जैसे देशों जितना बड़ा होगा। इससे एक लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। श्री मोदी ने इस मौक़े पर कहा की इससे प्रति वर्ष पांच करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा जो नौ करोड़ पेड़ लगने के बराबर होगा। इस ग्रीन एनर्जी संयंत्र से बिजली का औसत ख़र्च कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने समुद्र के खारे पानी को शुद्ध मीठे पानी में परिवर्तित करने वाले चार डिसेलिनेशन प्लांट का भी वर्चुअल तरीके से भूमिपूजन किया। ये कच्छ के मांडवी के गुंदियाली के अलावा सौराष्ट्र के गांधीवी-द्वारका, घोघा-भावनगर और सूत्रापाडा-सोमनाथ में स्थापित होंगे।

■ शेष पृष्ठ 6 पर

पीएम बोरिस जॉनसन ने स्वीकार किया गणतंत्र दिवस का बुलावा, पीएम मोदी को 'रिटर्न गिफ्ट'

नई दिल्ली (वार्ता)। यह तय हो गया है कि अगले साल गणतंत्र दिवस पर यूनाइडेट किंगडम (यूके) के पीएम बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि होंगे। यूके ने इसे बड़ा सम्मान बताते हुए पीएम मोदी को जी7 समिट के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन करने जा रहा है। यूके के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने मंगलवार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद यह घोषणा की। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने संवाददाताओं को बताया, ''हमारे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।'' गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के निमंत्रण को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जानसन द्वारा स्वीकार करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ''यह भारत ब्रिटेन संबंधों के नए युग की शुरूआत का प्रतीक होगा।'' इससे पहले मंगलवार को भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने व्यापार, रक्षा, शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर वार्ता की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। राब ऐसे समय में भारत यात्रा पर यहां आएं हैं, जब ब्रिटेन ब्रेक्जिट के बाद व्यापार समझौता करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ जटिल वार्ता कर रहा है। राब 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक की भारत यात्रा पर आए हैं। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संवाददाताओं को बताया कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब के साथ वार्ता में भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

उन्होंने कहा, ''हमने अफगानिस्तान के हालात और खाड़ी देशों एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की। जयशंकर ने कहा, ''आतंकवाद और कट्टरवाद के कारण पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा की गई, जो साझा चिंताएं हैं।'' उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद आर्थिक सुधार की गति तेज करने के लिये भारत-ब्रिटेन के बीच गठजोड़ महत्वपूर्ण है।

बदला मौसम का मिजाज, प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बारिश

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। प्रदेश में मौसम का मिजाज पिछले दो-तीन दिनों से बदला हुआ। जिसके असर से तापमान में गिरावट हुई है। वहीं आज प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के चलते धान खरीदी प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर सैकड़ों क्विंटल धान के खराब होने की संभावना बढ़ गई है।राजधानी रायपुर समेत आसपास के जिलों में सोमवार शाम को बूंदाबांदी हुई। ठंडी हवाओं के चलते लोगों को ठंड का एहसास हुआ। वहीं आज भी सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। इधर उत्तर छत्तीसगढ़ के जशपुर सहित अन्य इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। पत्थलगांव में बारिश के चलते धान खरीदी प्रभावित हुआ है। वहीं खुले में सैकड़ों क्विंटल धान की उपज रखी है। वहीं बारिश में बचाव के कोई उपाए नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक बदली और बारिश की संभावना जताई थी। वहीं अब बारिश हल्की बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं बारिश के थमने और बादल छंटने के साथ एक दो दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत में उत्तर पश्चिम से हवा तथा दक्षिण पूर्व से आने वाली हवा की मिलन का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण आसमान में बादल छाए हुए हैं तथा एक दो जगह बहुत हल्की बारिश हुई है।

कहीं कहीं धान ख़रीदी प्रभावित

दिशा-निर्देश | **कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 30 मिनट की जाएगी निगरानी**

भारत में पहले फेज में 30 करोड़ लोगों का होगा टीकाकरण

नई दिल्ली(वार्ता)। कोविड-19 टीकाकरण के लिए केंद्र की ओर से राज्यों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत टीका देने के बाद करीब 30 मिनट तक व्यक्ति की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा टीकाकरण स्थल पर एक समय में केवल एक व्यक्ति को अनुमति होगी। इसके तहत, एक दिन में प्रत्येक सत्र में 100 से 200 लोगों का टीकाकरण होगा। पहले फेज में 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (को-विन) प्रणाली का इस्तेमाल टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने में किया जाएगा। जिस स्थान पर टीकाकरण होगा, वहां प्राथमिकता में रखे गए केवल पहले से पंजीकृत लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। उसी स्थान पर पंजीकरण कराने की सुविधा नहीं होगी। टीका संचालन दिशा-निर्देश के मुताबिक, टीके की शीशियों को सूरज की रोशनी से बचाकर रखने की व्यवस्था की जाएगी। टीकाकरण के लिए व्यक्ति के पहुंचने पर टीके की शीशी को खोलना होगा। वहीं, सत्र के बाद आईस पैक के साथ बिना इस्तेमाल वाले सभी टीके को वितरण कोल्ड चेन स्थानों पर वापस भेजना होगा।

कई चुनौतियों से निपटना होगा

जारी किए गए दिशा-निर्देश में कहा गया कि टीका के संबंध में कई चुनौतियों से भी निपटना होगा। भारत में 1.3 अरब से ज्यादा लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। इस संबंध में लोगों को समय पर सूचना मिलनी चाहिए। कम समय में परीक्षण के बाद टीका इस्तेमाल को लेकर लोगों के मन में सुरक्षा संबंधी, टीका के कारगर होने को लेकर कई तरह की धारणा और आशंकाएं हो सकती हैं।

29000 कोल्ड चेन प्वाइंट्स और 41000 डीप फ्रीजर का होगा इस्तेमाल

दुनिया भर में कुछ वैक्सीनों को हरी झंडी मिलने के बाद भारत सरकार भी टीकाकरण की तैयारी में जुट गई है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण को सुगम बनाने के लिए पूरे देश में 29000 कोल्ड चेन प्वाइंट्स, 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीज, 45000 आइस-लाइन्ड रेफ्रिजरेटर, 41000 डीप फ्रीजर और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सभी उपकरण राज्य सरकार के पास पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के 15.55 करोड़ से अधिक नमूनों की अब तक जांच की गई, देश में संक्रमण दर गिरकर 6.37 फीसदी हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में वर्तमान में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर 1.45 फीसदी है, जो दुनिया में सबसे कम है।

साढ़े तीन लाख से नीचे आये कोरोना के नये मामले

नई दिल्ली (वार्ता)। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने से नये मामलों में गिरावट और स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार सुधार से सक्रिय मामले लगातार घट रहे हैं तथा इनकी संख्या अब साढ़े तीन लाख से नीचे आ गयी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 22,065 नये मामले सामने आये जिससे संक्रमण के कुल मामले 99.06 लाख हो गये। इस दौरान 34,477 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या 94.22 लाख तथा रिकवरी दर बढ़कर 95.12 प्रतिशत हो गयी है। सक्रिय मामले 12,766 कम होकर 3.39 लाख पर आ गये हैं और इसकी दर 3.43 प्रतिशत रह गयी। इसी अवधि में 354 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,43,709 हो गया है और मृत्यु दर अभी 1.45 फीसदी है।

न्यूज गैलरी

अज्ञात शव मिला

कुम्हारी। कैवल्यधाम रोड स्थित जाखोदिया बड़ी के सामने समदक किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है मृतक की उम्र लगभग 55 वर्ष की बताई जा रही है। मृतक का रंग साँवला कद करीब साढ़े पांच फीट सिर के बाल लम्बे और अधपके थे मृतक के नाक एवं दाहिने कान से खून निकला हुआ है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मृतक की मौत संभवतः हृदयघात से हुई है। फिलहाल पुलिस द्वारा पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

एफआईआर दर्ज करेगा निगम

दुर्ग। निगम द्वारा निर्मित छग लोककला मार्ग में पारंपरिक सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक के रुप प्रतिमाएँ व अन्य सौदर्यीकरण किया गया है। जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ कर मूतियों से चश्मा व अन्य सामानों की चोरी कर ली गई। निगम द्वारा लगाये गये सीसीटीवी कैमरा में उनका फुटेज 13 दिसबंर को रात्रि 12.40 बजे दर्ज हो गई है। जिसे पैनड्राईव में लेकर आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने मूर्तियों से छेड़छाड़ और सामानों को चोरी करने वाले व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करने पत्र प्रेषित किया गया है।

अमेजन पर बेचेंगी अपनी प्रोडक्ट

भिलाई। महापौर व विधायक देवेंद्र यादव महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में जुटे हैं। इसी कड़ी में महापौर ने महिलाओं के हाथों से बनाएं गए प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक ओर जहां मदर्स मार्केट का निर्माण करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब महिलाओं को हाईटेक करने का प्रयास किया जा रहा है। अब महिलाओं को ऑन लाइन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। ताकि महिलाएं अब अमेजन और फ्लिपकार्ट में अपन प्रोडक्ट को बेच सकें। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले महापौर पावर हाउस स्थित गो धन न्याय योजना केंद्र गए थे। जहां महिलाओं से मिले उनकी समस्याएं जानी। तब महिलाओं ने महापौर को बताया था कि दीपावली के अवसर पर उन्होंने गोबर से बनाए दिए जमकर बेचे और काफी मुनाफा कमाया।

कर्जमाफी और 25 सौ में धान खरीदी का निर्णय अहम : अकबर

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। राज्य सरकार के दो साल के कार्यो का लेखा जेखा जिले के प्रभारी मंत्री ने पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की कर्जमाफी और समर्थन मूल्य में धान खरीदी पर काफी पैसा खर्च हुआ है। किसानों के पास पैसा आया है लेकिन प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर इसका असर भी पड़ा है। फिर भी सरकार के पास इतनी राशि है कि वो विकास कार्य करवाने में सक्षम है। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता लेकर सरकार के दो साल के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने चुनाव के समय प्रदेश की जनता से किए वादे को सरकार बनते ही पहले ही दिन से अमल में लाना शुरू किया। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही किसानों की कर्जमाफी और 2500 रुपये में धान खरीदी जैसे अहम निर्णय लिए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि चुनाव के समय सरकार ने जो वादा किया था उसमें से 22 वादे को पूरा किया जा चुका है। बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर मंत्री ने कहा कि जो बेरोजगारी भत्ता सहित जो भी घोषणाएं बची हुई है उस पर अभी काम चल रहा है। शराब बंदी के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई है। जो अन्य प्रदेशों में किए गए शराब बंदी के बारे में जानकारी ले रही है। दुर्ग जिले में प्रीमियम की नई शराब दुकान खोले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह आबकारी विभाग का मामला है। दुर्ग से राजनांदगांव सड़क मार्ग में चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की कटाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि विकास के साथ.साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना जरुरी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उससे दोगुने पेड़ लगाए जाएंगे। पत्रकार वार्ता में विधायक देवेंद्र यादव, महापौर दुर्ग धीरज बाकलीवाल, भिलाई कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तुलसी साहू, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष निर्मल कोसरे, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र साहू, पूर्व महापौर आरएन वर्मा सहित कांग्रेस के अन्य नेता व पदाधिकारी मौजूद थे।

दो वर्षों में जनता ने देखा वास्तविक विकास : वोरा

प्रदेश में 15 साल बाद आई कांग्रेस सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के मौके पर दुर्ग विधायक एवं छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा ने सरकार की जमकर सराहना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व क्षमता एवं प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के विकास को लेकर उनके दृष्टिकोण की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि बीते दो वर्षों में प्रदेश की जनता ने वास्तविक विकास देखा है। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि में कांक्रीट के जंगल ही विकास हैं जबकि कांग्रेस सरकार की मानसिकता अच्छी अधोसंरचना के साथ ही अंतिम व्यक्ति का आर्थिक विकास एवं शसक्तीकरण करने की है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार नागरिक शसक्तीकरण करने हेतु अपना वादा निभाने में अव्वल रही है। शहरी गवर्नेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ पूरे देश मे तीसरे स्थान पर आ पहुंचा है। अन्नदाताओं की कर्ज माफी, धान एवं लघु वनोपज, तेंदू पत्ता के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि, नरवा गरवा घुरूवा बाड़ी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने में सरकार सफल रही हैं।

मार्निंग विजिट में मेडिकल ऑफिसर को वार्निंग

नवप्रदेश संवाददाता

रिसाली। निगम क्षेत्रांतर्गत अवधपुरी के नागरिकों की समस्याओं को दुर करने अपर कलेक्टर व आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे स्थल निरीक्षण करने वार्ड 26 पहुंचे। निरीक्षण के बाद आयुक्त ने सड़क किनारे मछली बेचने वालों से सख्ती से पेस आते मांस विक्रय बंद कराया। वही मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत वार्ड 5 माया नगर एचएससीएल कालोनी में लगाए शिविर का भी आयुक्त ने निरीक्षण किया। आयुक्त ने मेडिकल ऑफिसर के लेट-लतीफी को गंभीरता से लिया। उन्होंने टीम के सदस्यों को वार्निंग दी कि वे समय पर शिविर स्थल पहुंचे। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने हेल्थ चेकअप करने प्रतिदिन 50 मरीजों का टार्गेट दिया।

अवधपुरी कालोनी की 2 दर्जन से भी ज्यादा महिलाएं निगम कार्यालय पहुंची थी। उनका कहना था कि अघोषित मटन मार्केट से क्षेत्र में गंदगी फैल रही है। मछली व मुर्गा कटाई कर व्यापारी अवशेष को सड़क किनारे फेक देते है। इस वजह से न केवल बदबू घरों तक आ रही हैए बल्कि आवारा कुत्ते भी हिंसक हो रहे है। मौके पर पहुंचे आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने अघोषित मांस विक्रय को बंद कराया। इस दौरान आयुक्त ने मुर्गा दुकान संचालक को नोटिस देकर दुकान बंद कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग प्रभारी जगरनाथ कुशवाहा, निरीक्षक बृजेन्द्र परिहारए जोनल सतीश देवांगन व सुपरवाइजर बिरेन्द्र देशमुख उपस्थित थे। मार्निंग विजिट के दौरान आयुक्त नहर नाली सफाई कार्य का अवलोकन किया।

स्लम क्षेत्रों में मिली स्वास्थ्य सुविधा

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुसार स्लम क्षेत्रों में नागरिकों, श्रमिकों को समुचित स्वास्थ्य सेवाये उनके निवास के समीप उपलब्ध कराने योजना की शुरुआत की गई है। महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव तथा निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी लगातार स्वास्थ्य शिविर स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज श्री रघुवंशी ने वार्ड 12 कांट्रैक्टर कॉलोनी तथा वार्ड 38 बालाजी नगर में लगे हुए स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में आए लोगों ने बताया कि खुशी हो रही है कि सरकार ने ऐसी योजना निकाली कि मेरे घर के सामने मोबाइल मेडिकल यूनिट आया हुआ है। हॉस्पिटल में जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है इतनी अच्छी सुविधा है कि हम स्वास्थ्य शिविर में जा रहे हैं और तुरंत टेस्ट हो रहा है। मुझे कोई बीमारी नहीं है परंतु किस प्रकार की योजना संचालित हो रही है इसके लिए आई थी। शिविर में मैंने बीपी और शुगर की जांच कराई है। यहां की सुविधाएं बहुत अच्छी है मैं धन्यवाद करती हूं सरकार का उन्होंने इतनी अच्छी योजना लाई। सुमन राठौर.सूचना मिली कि मोहल्ले में ही डॉक्टर आएंगे और फ्री में स्वास्थ्य परीक्षण होगा। मुझे बुखार एवं बीपी की समस्या थी! बुखार के लिए फ्री में दवाइयां मिली हुई है तथा बीपी भी नॉर्मल है। समय रहते बीपी का पता चल गया। अस्पताल जाने में लगने वाले समय की बचत हो रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर लगने से वार्ड में ही चिकित्सा सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं यहां की बहुत अच्छी है। राजेश्वरी वर्मा.मितानिन के जरिए पता चला कि मोहल्ले में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है।

समयसीमा में कार्य पूर्ण करने आयुक्त ने दिए निर्देश

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। निगम क्षेत्रांतर्गत पावर हाउस के समीप महिलाओं के उत्थान के लिए मदर्स मार्केट का भव्य रुप से निर्माण किया जा रहा है जहां वे अपने द्वारा बनाया गए प्रोडक्ट का विक्रय कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेंगी। बड़े शॉपिंग मॉल की तर्ज पर ड्राईंग डिजाइन के अनुरूप बन रहे मार्केट का निरीक्षण करने निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी और मुख्य अभियंता सत्येन्द्र सिंह पॉवर हाउस पहुंचे और शिवाजी नगर जोन 4 के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए! ताकि महिला समूह इसका शीघ्र लाभ उठा सकें। निर्माणाधीन मार्केट परिसर का आयुक्त ने निरीक्षण करते हुए भवन के भीतर टाईल्स, रंगरोगन, कैंटिन, पार्किंग, बाउंड्रीवॉल निर्माण, डोमशेड कार्य की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समानांतर हो किसी भी कार्य के लिए रुकावट न हो निर्माणाधीन भवन के सामने ही अव्यवस्थित खड़े हुए वाहनों को हटवाने के निर्देश दिए। महापौर व विधायक देवेंद्र यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल मदर्स मार्केट का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

महापौर ने किया शिविर का निरीक्षण

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। निगम द्वारा आज पोलसायपारा, बोरसी 49, मठपारा वार्ड 3 और सिकोलाबस्ती वार्ड 16 में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सिकोला भाठा व बस्ती का भ्रमण करते समय महापौर धीरज बाकलीवाल ने स्लम स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया। उन्होनें व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साफ सफाई का अवलोकन किये।

इस दौरान उन्होनें स्वयं अपना ब्लडप्रेशर और शूगर की जांच शिविर में कराये। आज चारों स्थल के शिविरों में कुल 37 बुर्जुगों सहित 45 लोगों ने अपना ब्लडप्रेशर और शूगर की जांच कराकर निःशुल्क दवाई और मार्गदर्शन प्राप्त किये। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य शिविर में 168 मरीजों ने नाम दर्ज कराकर 115 मरीजों ने दवाई लिए, 45 ने टेस्ट कराए और 2 लोगों ने मजदूर कार्ड का पंजीयन कराया। 16 दिसंबर को वार्ड 17 शांति नगर दुर्गा मंच में वार्ड 28 पचरीपारा के बांसपारा आनंद चौक में, वार्ड 4 मठपारा वार्ड मुक्तिधाम के पास क्षेत्र और बोरसी वार्ड वृंदानगर चौक स्वास्थ्य शिविर लगेगा।

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका लीला बाई पति शिवदास साकिन सिविक सेंटर भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 621/52 मे से रकबा 0.011 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2020 के आधार पर विक्रेता आम मुख्तयार निर्मल बुन्देला पिता स्व. चमनलाल बुन्देला के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 21.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 20201210040015б

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिक श्रीमती सुरजकली गुप्ता आ. राजाराम गुप्ता निवासी भोरमदेव रोड कवर्धा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम खेदामार प.ह.न. 16 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 987/25 रकबा 0.020 हें/ 2500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 06.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400244

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अजीत प्रसाद पिता वासुदेवन नायर निवासी बोरसी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 16/18 रकबा 0.020 हें/ 2400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400283

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री गुरजीत सिंह अरोरा वगै. पिता स्व. सुरजीत सिंह अरोरा निवासी संतराबाड़ी दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम चिखली प.ह.न. 11 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 325/146 रकबा 0.022 हें/ 2400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400157

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिक श्रीमती सुरजकली गुप्ता आ. राजाराम गुप्ता निवासी भोरमदेव रोड कवर्धा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम खेदामार प.ह.न. 16 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 987/26, 987/27, 987/28 रकबा 0.010, 0.010, 0.010 हें/ 3750 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 06.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400211

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अशोक कुमार मंडल पिता स्व. जोधराम मंडल निवासी कोरिया द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1032/14 रकबा 0.013 हें/ 1380 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400172

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती लीना अंगारे पति खिलेन्द्र अंगारे निवासी सिकोला बस्ती दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.न.. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 31/19, 32/231 रकबा 0.006 हें/ 600 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400220

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती शारदा बत्रा पति राकेश बत्रा निवासी पद्मनाभपुर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 357/64 रकबा 0.011 हें/ 1062.5 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400279

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती ज्योति साहू पति भीष्मदेव साहू निवासी उतई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 692/24 रकबा 0.0140 हें/ 1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400214

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री विकास सुखदेवे आ. स्व. टी.एस. सुखदेवे निवासी सुपेला भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 275/19 रकबा 0.034 हें/ 3600 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400155

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिक श्रीमती सुरजकली गुप्ता आ. राजाराम गुप्ता निवासी भोरमदेव रोड कवर्धा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम खेदामार प.ह.न. 16 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 987/1 रकबा 0.008 हें/ 1000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 06.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./534/अ-74/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700081

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रवेश तिवारी वगै. पिता स्व. सोमदत्त तिवारी निवासी ग्राम आदित्य नगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कातुलबोर्ड तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 32/48 रकबा 0.0140 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैकों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 26.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 04.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700092

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राजू यादव पिता स्व. समलिया यादव निवासी ग्राम लुचकीपारा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1034/57 रकबा 0.004 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार चैतीबाई पति समलिया की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700056

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती तारा बाई पति स्व. खोरबाहरा साहू निवासी ग्राम गयानगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 828/18, (829/16, 830/10) (829/16, 830/10) रकबा 0.014 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार खोरबाहरा आ. नम्मूलाल साहू की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 23.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती एंलिजा गोपाल पिता/पति स्व. गोपाल प्रसाद अन्य 2 निवासी ग्राम आदर्शनगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 90/13 रकबा 0.028 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार जी.पी. भंवर आ. श्यामसुंदर भंवर की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 12.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती वर्णिशा रॉकी पिता/पति स्व. विजय कुमार रॉकी निवासी ग्राम राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 90/8 रकबा 0.008 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार विजय कुमार रॉकी आ. परदेशीराम की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 12.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700179

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मेनका अग्रिहोत्री पति मनीष कुमार अग्रिहोत्री निवासी शिवाजी नगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम तितुरडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 2/68 रकबा 0.018 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती गीता कोशे अन्य 1 पिता/पति मोतीलाल कोशे निवासी हरिनगर कातुलबोर्ड से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 31.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 30.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 10.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राजीव चोपड़ा पिता स्व. बीरेन्द्र कुमार चोपड़ा निवासी पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 89/229 शा. 97/44 का टु. रकबा 0.136 हे. भूमि को हकत्यागकर्ता कुसुम चोपड़ा अन्य 01 पिता/पति स्व. बीरेन्द्र कुमार चोपड़ा निवासी पद्मनाभपुर दुर्ग से रजिस्टर्ड हकप्राप्त दिनांक 26.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 04.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यूज गैलरी

दो व्यक्तियों से मांगे पैसे, नहीं देने पर किया हमला

रायपुर। सड़क किनारे खड़ी हाईवा वाहन चालक से बाईक सवार दो व्यक्तियों ने पैसा मांगा नही है कहने पर धारदार औजार से मारकर फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट सेजबहार थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार धरमनगर टिकरापारा निवासी टीकम साहु 43 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 14 दिसंबर को 7.45 बजे कमल विहार चौक डुण्डा के पास दो अज्ञात बाईक सवार व्यक्तियों ने सड़क किनारे खड़ी हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 04 एमए 0479 के चालक मनोज साहु से पैसा मांगा नही है कहने पर धारदार औजार से मारकर भाग गए। जिसके चलते उसे चोट लगी है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने बाईक सवार दोनों अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 324,34 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बाड़ी में घूसा, चालक के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बाड़ी में लगे फैसिंग तार को तोड़ते हुये कमरे में लगा मोटर को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की रिपोर्ट नेवरा थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम किरना नेवरा तिल्दा निवासी बलराम साहु 60 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 14 दिसंबर को दोपहर 3 बजे ग्राम किराना नाला के पास तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक सीजी 08 एएफ 9333 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुये अनियंत्रित होकर पीड़ित के बाड़ी में लगे फैसिंग तार को तोड़ते हुये कमरे में लगा मोटर को क्षतिग्रस्त कर दिया। जिसके चलते उसे 1 लाख 50 हजार रुपयें का नुकसान हुआ है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

जुआ खेलते पांच जुआरी पकड़ाए, नगदी 6830 रुपयें एवं ताश की 52 पत्ती जब्त

रायपुर। जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने जुआ खेल रहे जुआरियों को घेराबंदी कर उनके पास से नगदी रुपयें व ताश की 52 पत्ती जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार गुढ़ियारी पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर 14 दिसंबर को रात 8.35 बजे प्रकाश इंण्ड्रटीज के पास गोगांव में जुआ खेल रहे अखिलेश वैष्णव 40 वर्ष पिता कृष्णा वैष्णव एवं अन्य 04 जुआरियों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरियों के पास से नगदी 6 हजार 830 रुपयें एवं ताश की 52 पत्ती जब्त की है। सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत कानूनी कार्रवाही कर उन्हें जमानतीय मुचलका पर रिहा कर दिया है।

राम वन गमन पथ पर्यटन रैली का आयोजन 16 को

रायपुर। राम वन गमन पथ के तहत् कांकेर जिले में 16 दिसम्बर को बाईक रैली का आयोजन किया जाएगा। प्रातः 08 बजे ज्ञानी ढाबा चौक के पास पर्यटन रथ का स्वागत किया जाएगा एवं कोण्डागांव जिले से प्रतीक चिन्ह प्राप्त किए जाएंगे। मानस मण्डली द्वारा भजन-कीर्तन उपरांत बाईक रैली बरदेभाटा चौक से कोदाभाट से दसपुर, बेवरती, पटौद, पुरियारा, करप, डंवरखार, मुड़पार, सरोना, दलदली, मालगांव, बरकई, सारवण्डी, धनोरा, शामतरा होते हुए घोटियावाही से ग्राम झुनझुना के पास बासपानी जिला धमतरी में प्रवेश करेगी। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन कांकेर के द्वारा संपूर्ण तैयारी कर ली गई है।

दो खाद्य अधिकारी निलंबित

रायपुर। राज्य शासन द्वारा बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले दो खाद्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश 15 दिसम्बर को मंत्रालय महानदी भवन से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। कोरिया जिले में पदस्थ खाद्य अधिकारी गणेश राम कुर्रे को सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना 3 जनवरी 2020 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में गणेश राम कुर्रे का मुख्यालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बलरामपुर जिले के खाद्य अधिकारी खुमेश्वर सिंह को नवीन पदस्थापना जिला सुकमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने एवं 29 अक्टूबर 2020 को जारी नोटिस का जवाब नही देने तथा बिना सूचना लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया गया है।

पूर्व विवाद को लेकर दंपती को हाथ-मुक्का से मारकर चोट पहुंचाया,मामला दर्ज

रायपुर। पूर्व विवाद को लेकर दंपती के साथ मारपीट करने की रिपोर्ट डीडीनगर थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार शिवनगर चंगोराभाठा डीडीनगर निवासी परमिला पाल 30 वर्ष पति गेंदराम पाल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि पूर्व विवाद को लेकर निक्कू वर्मा ने 14 दिसंबर को शाम 7.30 बजे शिवनगर में प्रार्थिया एवं उसके पति के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्का से मारपीट कर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

जुआ खेलते पांच जुआरी पकड़ाए, नगदी 6830 रुपयें एवं ताश की 52 पत्ती जब्त

रायपुर। जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने जुआ खेल रहे जुआरियों को घेराबंदी कर उनके पास से नगदी रुपयें व ताश की 52 पत्ती जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार गुढ़ियारी पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर 14 दिसंबर को रात 8.35 बजे प्रकाश इंण्ड्रटीज के पास गोगांव में जुआ खेल रहे अखिलेश वैष्णव 40 वर्ष पिता कृष्णा वैष्णव एवं अन्य 04 जुआरियों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरियों के पास से नगदी 6 हजार 830 रुपयें एवं ताश की 52 पत्ती जब्त की है। सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत कानूनी कार्रवाही कर उन्हें जमानतीय मुचलका पर रिहा कर दिया है।

जन शिक्षण संस्थान ने कुकिंग प्रतियोगिता का किया आयोजन, 30 प्रतिभागियों ने लिया भाग

रायपुर। राजधानी में जनशिक्षण संस्थान ने कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन गुढ़ियारी में किया। जिसमें 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में शिक्षिका संगीता रामटेके की के सभी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जन शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर अतुल सिंह, गायत्री श्रीवास्तव, वर्षा रवल, नितञ्जली दलाल, महेश सिंग, अदिती नाग, नंकेश्वर कुमार इत्यादि मौजूद रहें।

राजस्व मंत्री ने कोरबा में अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक

अवैध प्लाटिंग करने वालों पर नियमानुसार होगी कार्रवाई

नव प्रदेश संवादाता

रायपुर। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि देश में अवैध प्लाटिंग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। राजस्व मंत्री ने कोरबा जिला मुख्यालय में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत भी शामिल हुई।

राजस्व मंत्री ने कोरबा जिले में बनने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों और महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा प्रकरणों का भी तेजी से निराकरण करने को कहा। राजस्व मंत्री ने बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन आदि कामों को समय सीमा तय कर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपना सूचना तंत्र सक्रिय करें और शहरी क्षेत्रों में होने वाली अवैध प्लाटिंग पर विशेष नजर रखें। उन्होंने अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध प्लाटिंग को रोकने से एक ओर शासन को होने वाली राजस्व हानि को बचाया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर लोग वाजिब दामों पर हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम जैसी शासकीय संस्थाओं के मकान खरीदेंगे जिससे शासन को राजस्व भी मिलेगा और लोग बेवजह की परेशानियों से भी बचेंगे। राजस्व मंत्री ने कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों और प्रस्तावित रेल परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा वितरण तेज करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

सड़क-रेल परियोजनाओं के मुआवजा प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण करने के निर्देश

श्री अग्रवाल ने ऐसे सभी विवादित मुआवजा प्रकरणों को अभियान चलाकर निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में कहा कि मुआवजा प्रकरणों के जल्द निराकरण से सड़क और रेल परियोजनाओं के काम जल्द शुरू हो पायेंगे और लोगों को शीघ्र ही सहुलियत मिल सकेगी। जिले में मसाहती गांवों के सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए भी समयबद्ध कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में कोरबा जिले के कलेक्टर श्रीमती कौशल ने बताया कि जिले के 117 मसाहती गांवों में से 112 गांवों का मौका सत्यापन पूरा कर लिया गया है। 91 गांवों का नक्शा आईआईटी रूड़की से रि-नंबरिंग के लिए मिला है जिसमें से 59 गांवों का सीमा सत्यापन और री-नंबरिंग कर नक्शे वापस आईआईटी रूड़की को प्रदाय कर दिये गये हैं।

संसदीय सचिव जैन और विधायक राजमन बेंजाम बाईक रैली में शामिल हुए

■ **पर्यटन रथ का जगह-जगह आत्मीय अभिनंदन**

रायपुर। राज्य शासन के विशेष प्रयासों से राम गमन परिपथ के अन्तर्गत बस्तर अंचल में भी महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने वाला है। जिसका आगाज आज 14 दिसम्बर से जनप्रतिनिधियों एवं आला प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भगवान रामचन्द्र जी के वनवास के दौरान बस्तर अंचल में गुजारे गये विभिन्न स्थानों से किया गया। इस महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनते हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन एवं विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम ने बाईक चलाते हुए राम गमन पर्यटन परिपथ रथ और बाईक रैली में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ शासन के इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर बस्तर अंचल के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने बरसों पुराने सपनों को फलीभूत होते देखकर लोगों ने रैली और पर्यटन परिपथ रथ का जगह-जगह पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। राम वन गमन पथ के निर्धारित स्थानों पर बाईक रैली और रथ के स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर महिलाएं कलश लेकर एवं श्रद्धालु तथा आम नागरिक, प्रशासनिक अमले के साथ खड़े थे। रैली और रथ के पहुंचने पर उनके ऊपर फूलों का बौछार कर उनका स्वागत किया गया।

इस दौरान जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिकों ने पर्यटन रथ में सवार भगवान रामचन्द्र, माता सीता एवं लक्ष्मण की प्रतिमा की पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर जय-जय राम और जय माता कौशल्या की गगन स्पर्शी नारे भी लगाये। बाईक रैली में शामिल संसदीय सचिव रेखचंद जैन, विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम तथा अन्य जनप्रतिनिधियों सहित रैली में शामिल सभी लोगों का मुख्य मार्ग पर स्थित कुटूमसर गुफा एवं तीरथगढ़ जलप्रपात चौक, मेनरोड़ कामानार, केशलूर, तोकापाल आदि स्थानों पर भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया।

प्रदेश भाजपा का संगठनात्मक ढांचा खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका : विकास तिवारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने प्रदेश भाजपा के संस्थापकों में से एक स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के पुत्र एवं पूर्ववर्ती रमन सरकार के पूर्व संसदीय सचिव युद्धवीर सिंह जूदेव के मीडिया में दिये गये वक्तव्य पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के द्वारा प्रदेश भाजपा को अपने निजी जागीरदारी बना डाला है और अपने मन मुताबिक फैसले लेने के कारण प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक इकाई अब खंडहर के रूप में तब्दील हो चुकी है।पूर्व संसदीय सचिव युद्धवीर सिंह जूदेव ने कहा कि भाजपा बड़े उद्योपतियों और धन्नासेठों की पार्टी है उन्हें किसान हित आदिवासी और आम जनता के हित से कोई सरोकार नहीं है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्होंने संघर्ष करना सीखा है इस बात से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की लड़ाई अब सतहीस्तर पर आ चुकी है लगातार जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के अपमान और उपेक्षा के कारण भारतीय जनता पार्टी गर्त में जा चुकी है और मूल कार्यकर्ता और नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार विधानसभा,विधानसभा के उपचुनाव,नगर पालिका,नगर निगम एवं पंचायत के चुनाव में बुरी कदर से हार रही है जिसके कारण भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल हाशिये पर है। भाजपा की सरकारों का कोई भी सरोकार जनहित,किसान हित, आदिवासी हित,महिला हित का कतई नहीं है सत्ता को आय का जरिया समझने वाले भारतीय जनता पार्टी की पोल-पट्टी उन्हीं के पार्टी के युवा नेता और पूर्व संसदीय सचिव युद्धवीर सिंह जूदेव ने खोली युद्धवीर सिंह के बयान से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दो साल बेमिसाल कार्यकाल से अब न केवल प्रदेश,देश और विदेश की जनता वरन भाजपा के संस्थापक परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि प्रदेश भाजपा की बची-खुची खंडहर रूपी इकाई के नेताओं को युद्धवीर सिंह जूदेव से सीखना चाहिये और खुलकर कांग्रेस सरकार एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन हितैषी छत्तीसगढ़िया हितैषी कार्यो की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिये क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई रमन-धरम की निजी जागीरदारी हो गई है।

दो सूने मकानों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, शादी समारोह में गया था परिवार

■ **सोने, चांदी के गहने व 30 हजार रुपयें नगदी चोरी, अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज**

रायपुर। राजधानी में फिर दो सूने मकानों का ताला तोड़कर आलमारी में रखे सोने,चांदी के जेवरात व नगदी रुपयें चोरी कर लेने की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार रावतपुरा एक्टीव एकेडमी टिकरापारा निवासी रवि नायक 28 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 12 को शादी समारोह में शामिल होने उसका पूरा परिवार मकान में ताला लगाकर देवरी बालोद गया था। 14 दिसंबर को जब वापस रायपुर टिकरापारा आने पर मकान का ताला कुंदा टुटा हुआ मिला। कमरे के अंदर जाकर देखने पर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था,आलमारी में रखे एक सोने का चैन ,एक जोड़ी सोने का कान का टाप्स ,08 जोड़ी बिछिया, 30 चांदी का सिक्का,3 सोने का लौंग,सोने,चांदी के जेवरात व नगदी 5 हजार रुपयें को किसी ने लॉकर तोड़कर चोरी कर लिया।

इसी तरह ग्राम माना बस्ती पंडवापारा निवासी दीपेश ठाकुर 25 वर्ष ने मानाकैम्प थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी की मां व दो बहने शादी कार्यक्रम में 08 दिसंबर को दुर्ग शादी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। 14 दिसंबर को वापस दोपहर 1 बजे घर मानाबस्ती रायपुर आये तब मकान में लगा ताला टुटा मिला व बेडरुम में रखे आलमारी दरवाजा खुला हुआ था। चेक करने पर लाकर टुटा हुआ मिला जिसमें रखा सोने का कान व गले का सेट,एक जोड़ी सोने का झुमका 2 जोड़ी,सोने का सिक्का 4 नग,बिन्दिया सोने का एक नग,सोने की 4 अंगुठी,सोने का मंगलसूत्र एक,सोने का नाक का फुल्ली 3 नग,सोने का ताबिज 3 नग,सोने का टुकड़ा 2 नग,चांदी का गणेश जी की मुर्ति एक नग,एवं नगदी 25 हजार रुपयें किसी ने चोरी कर लिया है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 380,457 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

कार अनियंत्रित होकर पलटी,चालक की मौत

रायपुर। अनियंत्रित होकर कार पलट जाने की वजह से चालक की मौत हो जाने की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड 02 ग्राम केवतरा खरोरा निवासी मुकेश कुमार वर्मा 43 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी का छोटा भाई राकेश वर्मा 41 वर्ष 14 दिसंबर को 12.20 बजे अपने गांव केवतरा से किराना दुकान का सामान खरीदने के लिये स्वयं के कार क्रमांक सीजी 04 एमबी 2604 को चलाते हुये गया था। मेन रोड ग्राम खुडमुडी थाना तिल्दा के पास दोपहर करीब 1 बजे कार अनियंत्रित होकर पलट जाने से राकेश के सिर व शरीर में गंभीर चोट लगा जिससे घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

सूचना के अधिकार में जानकारी देने के बजाया पुलिस कर रही दुर्व्यहार : नागेश्वर राव

रायपुर। सरकार सेवा में अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से सेवा देकर सहयोग करना चाहे तो वह आज के समय में गुनाह है। 1996-97 एचसीएल दुर्ग में हेल्पर के पद पर कार्यरत भिलाई निवासी 27/03 बी. नागेश्वर राव ने आज प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में बताया कि उस समय एचसीएल में कार्यरत थे तब एक चोरी के मामले में उन्हें लक्ष्मपति राजू के विरूद्ध स्वयं देखे जाने के बाद भी चोरी का आरोपी बनाकर उनके हाथ में स्लेट पट्टी में चोर अंकित कर उन्हें अपमानित किया गया। नागेश्वर राव ने पत्रकारवार्ता में भिलाई भट्टी पुलिस थाना प्रभारी भूषण एक्का एवं नगर प्रभारी विजय ठाकुर पर यह आरोप लगाया कि सूचना के अधिकार के तहत उन्हें अपने मामले में जानकारी मांगने पर गुमराह किया जा रहा है। प्रथम बार दी गई सूचना के अधिकार पर उन्हें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने 10 दिसम्बर को जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि मामला 23-24 साल पुराना है। अतएव उक्त मामले की जानकारी उन्हें न्यायालय से ही मिलेगी। बातचीत के दौरान अपने मामले की जानकारी देने पर संबंधित थाना प्रभारी एवं उनके स्टाफ ने नागेश्वर राव के खिलाफ अश्लील गाली-गलौच करते हुए नाजुक अंगों में डंडे से प्रहार करने की धमकी दी।

कोरोना से 171 स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज, 16 की मौत

लोग भी बरत रहे है लापरवाही, मास्क लगाना है जरूरी

रायपुर। ठंड में इजाफा होते ही कोरोना वायरस द्वितीय चरण में अधिकतम आबादी को प्रभावित करने लगा है। ऐसी स्थिति में लापरवाही के चलते जहां कोरोना वायरस कोविड 19 का स्वरूप प्रथम चरण के बाद अधिक आक्रामक तरीके से मरीजों को प्रभावित कर रहा है वहीं लाक डाउन खत्म होने के बाद आम लोगों में अभी भी कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। नगर निगम एवं जिला प्रशासन तथा स्वयं सेवी संगठनों द्वारा शासकीय अशासकीय क्षेत्रों द्वारा बार बार मास्क पहनने की अपील करने के बाद भी बाजार क्षेत्र में ज्यादातर लोग बिना मास्क पहने लोगों के लिए खतरे का सबब बने हुए है। दूसरे दौर में लापरवाही बरतने पर संक्रमण का स्वरूप

भयावह हो सकता है। छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार रात 8 बजे की स्थिति में प्रदेश से कुल 171 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने की जानकारी दी गई है। नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष पांडेय के अनुसार 1615 नये कोरोना पाजीटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। अब तक प्रदेश में कुल 2 लाख 58,635 मरीज कोरोना पाजीटिव के पाये गये है जिनमें अस्पताल से अब तक 90,157 मरीज कोरोना उपचार के दौरान स्वस्थ होकर अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। गत 24 घंटे में होम आइसोलेशन से 1440 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं प्रदेश स्तर पर अब तक 1 लाख 46 हजार 431 मरीज स्वस्थ होकर अपनी दिनचर्या रोजाना की जारी रखने में सफल हुए हैं। प्रदेश में 1259 मरीज गत 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए है अब तक प्रदेश में 2, 36, 588 मरीज इलाज के दौरान शासकीय अशासकीय चिकित्सा संस्थानों में पंजी में दर्ज होकर समुचित उपचार का लाभ लेकर ठीक हो गये हैं। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 18931 है। उपचार के दौरान 16 मरीजों की मृत्यु हुई है जिनमें कोविड 19 के 3 एवं को मार्बिडिटी के 13 मरीज शामिल है। गत 24 घंटे में 34289 मरीजों का कोरोना टेस्ट किया गया है। जिलावार कोरोना मरीजों की स्थिति इस प्रकार है- दुर्ग 150, राजनांदगांव 90, बालोद 98, बेमेतरा 33, कबीरधाम 15, रायपुर 211, धमतरी 41, बलौदाबाजार 103, महासमुंद 69, गरियाबंद 12, बिलासपुर 133, रायगढ़ 116, कोरबा 106, जांजगीर चांपा 155, मुंगेली 14, पेंड्रा गौरेला मरवाही 12, सरगुजा 57, कोरिया 35 सूरजपुर 36, बलरामपुर 33, जशपुर 21, बस्तर 13, कोंडागांव 30, दंतेवाड़ा 08, कांकेर 16, बीजापुर 02 अन्य राज्य से केवल 4 एवं सुकमा से केवल 2 मरीज कोरोना पॉजीटिव का मिला है जबकि नारायणपुर से विगत 24 घंटे में एक भी मरीज कोरोना पॉजीटिव का नहीं मिलने की जानकारी जारी बुलेटिन में दी गई है।

किसानों के पुराने जूट बारदानों का उपयोग होगा धान खरीदी में

■ **बारदानों की कमी को देखते हुए राज्य शासन ने जारी किया आदेश**

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदानों की कमी को देखते हुए किसानों के पुराने बारदानों का उपयोग खरीदी के लिए करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आज मंत्रालय महानदी भवन से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किसानों के पुराने जूट बारदानों में धान खरीदी करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार बेमेतरा, बीजापुर, बालोद समेत राज्य के विभिन्न जिलों से धान खरीदी के लिए पुरानों बारदानों की कमी होने के कारण विकल्प के रूप में किसानों के पास उपलब्ध पुराने बारदानों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए किसानों द्वारा उपलब्ध कराए गए केवल पुराने जूट बारदानों में ही धान खरीदी करने की अनुमति दी गई है। किसानों के बोरे का धान खरीदी में उपयोग होने पर उसे मिलिंग पश्चात किसानों को वापस किया जाएगा। बोरा उपयोग के लिए किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क देने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में किसानों के बारदाने के उपयोग करने की अनुमति प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विशिष्ट समितियों हेतु आवश्यकता एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दी जा सकेगी। धान खरीदी के लिए किसान द्वारा उपलब्ध कराए गए पुराने बारदाने अच्छी अवस्था में एवं उपयोगी किस्म के होनी चाहिए।

संपादकीय

प्रणव मुखर्जी की किताब से बवाल

पूर्व राष्ट्रपति स्व. प्रणव मुखर्जी की किताब द रेसिडेंसियर इयर्स को लेकर कांग्रेस में बवाल मच गया है। प्रणव मुखर्जी की इस किताब का जनवरी 2021 में विमोचन होने जा रहा है। पांच दशकों तक भारतीय राजनीति से जुड़े रहे प्रणव मुखर्जी की इस किताब में कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की गई है। प्रणव मुखर्जी ने लिखा है कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस नेतृत्व में राजनीतिक फोकस खो दिया। सोनिया गांधी जहां पार्टी मामलों को देखने में विफल हो गई वहीं सदन में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने से तात्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने अन्य सांसदों से व्यक्तिगत संपर्क खो दिया। उन्होने लिखा है कि देश में शासन करने का नैतिक अधिकार प्रधानमंत्री के पास निहित होता है लेकिन मनमोहन सिंह गठबंधन को बचाने में व्यस्त रहे, जिसका शासन पर असर पड़ा। प्रणव मुखर्जी की इस किताब पर फिलहाल कांग्रेस नेताओं ने कोई टिप्पणी नही की है। पूर्व केन्द्रिय मंत्री विरप्पा मोइली ने कहा है कि अभी किताब का विमोचन नहीं हुआ है और यह समझना होगा कि मुखर्जी ने किसी परितेक्ष में यह बातें लिखी है। पूर्व केन्द्रिय मंत्री सलमान खुर्शिद ने भी कहा है कि वे पहले किताब को पूरी तरह पढ़ लेने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। प्रणव मुखर्जी जैसे इतने व्यापक अनुभव वाले शख्स ने अगर कुछ लिखा है तो उस किताब को पूरा पढ़ने की जरूरत है तभी पता चलेगा कि उन्होने किस परितेक्ष में ऐसा लिखा है। गौरतलब है कि 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी थी तब प्रधानमंत्री पद के लिए प्रणव मुखर्जी का नाम उभरा था लेकिन मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया और प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति बनाए गए थे। बहरहाल प्रणव मुखर्जी की यह किताब जब प्रकाशित हो जाएगी तो उससे लेकर कांग्रेस में और बवाल मचने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी इस समय संक्रमण काल से गुजर रही है। एक के बाद एक उसे पराजय का सामना करना पड़ा रहा है। कई राज्यों में तो कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसे क्षेत्रिय दलों का पिछलग्गू बनना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने अब कांग्रेस से किनारा ही कर लिया है। बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को आखें दिखाने लगा है। बंगाल में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में वामपंथी पार्टियां कांग्रेस से गठबंधन करने की मानसिकता में नहीं दिख रही है। कांग्रेस के भीतर अंतर कलह इस कदर तेज हो गई कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलामनबी आजाद को बगावती सुर अख्तियार करने पड़े है। कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेता पार्टी आलाकमान के फैसलों से नाखुश बताए जाते है। ऐसी स्थिति में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खो रही है। कांग्रेस नेतृत्व को मंथन करने की आवश्यकता है ताकि कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा किया जा सके और वह कम से कम सशक्त विपक्ष की भूमिका तो निभा सकें।

विचार

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे: सुविधाओं तक पहुंच

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) के ताजा आंकड़े कई दृष्टियों से ध्यान देने लायक हैं। 2015-16 में जारी हुए चौथे सर्वे के बाद आए इस पांचवें सर्वे के नतीजे हालांकि पूरे देश के नहीं, सिर्फ 17 राज्यों और पांच केंद्र शासित इकाइयों के ही हैं। कोविड-19 के कारण अभी यह अधूरा है। लेकिन फिर भी इन आंकड़ों से चार साल की इस अवधि में जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आए सुधार के ठोस संकेत मिलते हैं। बाकी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वे से जुड़ा फील्ड वर्क अब दोबारा शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले छह महीनों में एनएफएचएस की संपूर्ण रिपोर्ट जारी हो जाएगी। लेकिन पहले चरण की इस रिपोर्ट में कोरोना महामारी शुरू होने के ठीक पहले तक की स्थिति दर्ज हुई है और यह इस अर्थ में मौजूदा मोदी सरकार के प्रशासनिक कामकाज का आईना बन सकती है कि इसके पहले कार्यकाल की शुरुआत के कुछ बाद से लेकर आखिर तक की अवधि इसमें कवर हो जाती है। चौथे सर्वे के मुकाबले इस पांचवें सर्वे में बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच में काफी सुधार दिखता है। उदाहरण के लिए आबादी में बिजली की सुविधा हासिल कर चुके परिवारों का अनुपात ज्यादातर राज्यों में बढ़ा है। इसके अलावा शुद्ध पानी के स्रोतों तक पहुंच वाले परिवारों की संख्या भी ज्यादातर राज्यों में बढ़ी है। यही नहीं, शौचालय की सुविधा और स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता के मामले में भी तकरीबन सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में हालात बेहतर हुए हैं। हालांकि इस बेहतरी को दर्ज करते हुए भी ये आंकड़े बताते हैं कि इन मोर्चों पर अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जबर्दस्त कामयाबी के बावजूद तकरीबन एक चौथाई आबादी आज भी धुआं न छोड़ने वाले ईंधन से वंचित है। ऐसे ही स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि संपूर्ण आबादी को शौचालय उपलब्ध हो गया है, लेकिन ताजा सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक करीब एक चौथाई आबादी ऐसे घरों में रहती है जिनमें शौचालय नहीं हैं। ऐसे परिवारों को सामूहिक शौचालय का सहारा लेना पड़ता है। बहरहाल, इनसे अलग एक मोर्चा ऐसा है जहां हालात सुधरने के बजाय पहले से और बदतर हुए हैं। वह है बच्चों में बढ़ता कुपोषण। 2015-16 के सर्वे में इस मोर्चे पर सुधार दर्ज किया गया था। यानी कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई थी। मगर एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट के मुताबिक उम्र के हिसाब से कम लंबाई वाले बच्चों की संख्या 13 राज्यों में और लंबाई के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की संख्या 12 राज्यों में बढ़ी है।

समस्या का समाधान हां या ना में नहीं संवाद में

डॉ नीलम महेंद्र

> आंदोलन स्थल पर रोटी बनाने की मशीनें, हाइवे पर जगह जगह लगी वाशिंग मशीनें, ट्यूब वाटर पम्प का संचालन करने वाली मोबाइल सोलर वैन को मोबाइल फोन चार्ज करने और बैटरी बैंक के रूप में तब्दील करना, बिजली के लिए सोलर पैनल और इन्वर्टर का प्रयोग। अगर हमारे किसानों ने एक हाइवे की सड़क पर अपने दम पर यह इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है तो इसका मतलब यह है कि हमारे किसान हर प्रकार से सक्षम हैं और आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी बखूबी जानते हैं तो फिर वे अपने इस हुनर का प्रयोग आंदोलन करने की बजाए खेती और फसल को उन्नत करने में लगाते तो वो खुद भी आगे जाते और देश की तरक्की में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते। लेकिन हमारे देश के किसानों की हकीकत किसी से छुपी नहीं है।देश के 86 प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं जो खुद खेती में निवेश भी नहीं कर सकते। किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या के आंकड़े उनकी दयनीय स्थिति बताने के लिए काफी हैं। इसलिए जब इस किसान आंदोलन के जरिए हमारे देश के किसानों की यह विरोधाभासी तस्वीरें सामने आती हैं तो इनसे राजनीति की बू आती है।

देश में लगभग एक पखवाड़े से जारी किसान आंदोलन भारत के सशक्त लोकतंत्र का बेहतरीन और विपक्ष की ओछी राजनीति का ताज़ा उदाहरण है। क्योंकि आंदोलन के पहले दिन से ही किसानों की मांगों का जिस प्रकार केंद्र में बहुमत वाली सरकार सम्मान कर रही है, उनकी आशंकाओं का समाधान करने का हर सम्भव प्रयास कर रही है वो सराहनीय है। यह बात सही है कि मौजूदा सरकार कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष के पिछले चार पांच सालों के इतिहास को देखते हुए इन कृषि सुधार कानूनों को लाने से पहले ही किसान नेताओं या फिर राज्य सरकारों को विश्वास में ले लेती तो आज पूरा देश इस अराजक स्थिति और अनावश्यक विरोध की राजनीति से बच जाता लेकिन या तो सरकार ने इस मामले में दूर की दृष्टि नहीं रखी या फिर उसने विपक्ष की ताकत को कम आंक लिया। खैर अब वो इस स्थिति में अपना नरम और सकारात्मक रुख का परिचय दे रही है चाहे वो किसानों द्वारा दिल्ली के बुराड़ी मैदान में आंदोलन करने से मना कर देना हो या किसानों द्वारा सरकार से बिना शर्त बात करने की मांग करना हो। चाहे कृषि मंत्री से लेकर गृहमंत्री तक विभिन्न स्तरों पर किसान नेताओं की बैठकों का दौर हो।और या फिर अपने ताज़ा कदम में आखिर किसानों की मांगों को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि कानूनों में संशोधनों का प्रस्ताव किसानों के पास भेजना हो। सरकार अपने हर कदम से बातचीत करके किसानों की समस्याओं को दूर करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, अपनी नीयत और मंशा स्पष्ट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों का रवैया किसान नेताओं की मंशा और विश्वसनीयता दोनों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। क्योंकि इन कानूनों के जिन मुद्दों को उठाकर यह किसान आंदोलन खड़ा किया गया है सरकार उन सभी पर संशोधन करने के लिए तैयार है। बावजूद इसके किसान नेता संशोधनों को मानने के बजाए कानून वापस लेने की अपनी मांग पर ही अड़े हैं। तो किसान आंदोलन पर सवाल यहीं से खड़े हो जाते हैं क्योंकि, 2015 की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश के केवल 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है लेकिन फिर भी किसान एमएसपी की

मौजूदा व्यवस्था पर आश्वासन चाहते हैं जो कि सरकार लिख कर देने को तैयार है। किसानों को डर है कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी जबकि यह कटु सत्य है कि मौजूदा मंडी व्यवस्था के अंतर्गत मंडियों में ही किसानों का सर्वाधिक शोषण होता है। वो मंडियों में कम दामों पर अपनी उपज बेचने के लिए आढ़तियों के आगे विवश होते हैं और ये आढ़तिये इन्हीं फसलों को आगे बढ़ी हुई कीमतों पर बेचते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। फिर भी ÷तथाकथित किसानों÷ की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को यह छूट देने के लिए तैयार है कि वे प्राइवेट मंडियों पर बहु शुल्क लगा सकती हैं किसानों की आशंकाओं को देखते हुए सरकार कानून में संशोधन करके उन्हें सिविल कोर्ट कचहरी जाने का विकल्प देने को भी तैयार है। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून को लेकर भृम फैलाया जा रहा था कि किसानों की जमीनें प्राइवेट कंपनियों द्वारा हड़प ली जाएंगी उसको लेकर भी कानून में स्पष्ठता की जाएगी कि खेती की जमीन या बिल्डिंग गिरवी नहीं रख सकते। किसानों ने यह मुद्दा उठाया था कि नए कृषि कानूनों में कृषि अनुबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है तो सरकार ने संशोधन में आश्वासन दिया है कि कंपनी और किसान के बीच कॉन्ट्रैक्ट की 30 दिन के भीतर रजिस्ट्री होगी। किसान बिजली से जुड़े नए कानून लागू करने के खिलाफ थे, सरकार ने संशोधन में आश्वस्त किया है कि बिजली की पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी और वो बिजली संशोधन बिल 2020 नहीं लाएगी। किसानों को आपत्ति थी कि नए कानूनों से वो निजी मंडियों के चुंगल में फंस जाएंगे सरकार ने संशोधित प्रस्ताव में निजी मंडियों के रेजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है ताकि राज्य सरकारें किसानों के हित में फैसले ले सकें।

लेकिन किसान नेताओं द्वारा सरकार के इस संशोधित प्रस्ताव को ठुकराना और संशोधन नहीं केवल कानून वापस लेने की मांग पर अड़ जाना, सरकार के साथ बैठकों में कानून पर बात करने के बजाए (÷यस और नो÷) हाँ या ना÷ के प्लेकार्ड लहराना या फिर सरकार द्वारा संशोधन भेजने के बावजूद आंदोलन और तेज करने की घोषणा करना, जिसमें अडानी अंबानी के सामान का बहिष्कार करना, जैसे कदम उठाए जा रहे हैं , इस आंदोलन में किसानों के पीछे छुपे असली चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब सरकार के साथ 9 तारीख को बैठक प्रस्तावित थी तब किसान संगठनों द्वारा 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान,इस बंद को समूचे विपक्षी दलों का समर्थन और राहुल गांधी शरद पवार समेत विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल का राष्ट्रपति से मिलकर इन कानूनों को रद्द करने की मांग करने, ये सभी बातें अपने आप में इसके पीछे की राजनीति को उजागर कर रही हैं। खास बात यह है कि इस आंदोलन में रहने खाने से जुड़े मूलभूत विषय हो या सरकार से बात करने की रणनीति तैयार करने जैसे गंभीर विषय हों जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं या फिर प्रसाद के रूप में काजू किशमिश बांटने जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं वो इस आंदोलन को शाहीन बाग़ जैसे आंदोलन के समकक्ष खड़ा कर रहे हैं। जब केजरीवाल एक तरफ दिल्ली में इन कृषि कानूनों में से एक को लागू करते हैं और दूसरी तरफ किसानों के बीच जा कर इन कानूनों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। या जब राहुल गांधी किसानों से कानून वापस लेने तक पीछे नहीं हटने का आह्वान करते हैं लेकिन अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन्हीं कृषि सुधारों को लागू करने का वादा करते हैं। या जब शरद पवार आज इन कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं लेकिन खुद कृषि मंत्री रहते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर इन कृषि सुधारों को लागू करने की वकालत करते हैं। लेकिन राजनीति से इतर यह बात भी सही है कि सरकार द्वारा लाए इन कृषि सुधार क़ानूनों में छोटे किसानों के मद्देनजर और सुधार की गुंजाइश हो सकती है।

राजनीतिक असहिष्णुता से कमजोर होता लोकतंत्र

राजेश माहेश्वरी

> वास्तव में अब लोकतंत्र में विचार कम, पत्थर अधिक चलने लगे हैं। हिंसा की इस बढ़ती जा रही चिंताजनक प्रवृत्ति के पीछे राजनीति का अपराधीकरण भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग यानि कानून को अपने जूते की नोंक पर रखने वाले लोग चुनाव में जीतकर विधानसभाओं और संसद में आएंगे, तो वे वहां भी वैसा ही आचरण करेंगे जिसके वे आदी हैं। और यह आचरण लोकतंत्र की भावना के अनुरूप तो नहीं ही हो सकता। ताजा घटना में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसी हिंसा कोई करे, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और लोकतंत्र को कमजोर करती है। किसी भी तर्क और बहाने इसका समर्थन करना निंदनीय और शर्मनाक है।

दूसरों के विचारों और अधिकारों का सम्मान करना और अपनी बात किसी पर जबर्दस्ती न थोपना लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य हैं। लेकिन पिछले सात दशकों में भारत में असहिष्णुता की प्रवृत्ति काफी बढ़ी है। यूं तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का अतीत पुराना रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति को भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। इसी श्रृंखला में बीते दिनों विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जगतप्रकाश नड्डा के काफिले पर हमला किया गया है। नड्डा पश्चिम बंगाल के प्रवास पर थे और चुनावों के मद्देनजर तैयारियों और माहौल का जायजा लेने में व्यस्त थे। उनका काफिला कोलकाता से डायमंड हार्बर जा रहा था, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे का संसदीय क्षेत्र है। बुलेटप्रूफ वाहन होने के कारण वह बच गए, लेकिन पार्टी महासचिव एवं बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय आदि को चोटें आई हैं। दरअसल, बंगाल में भाजपा के लगातार बढ़ते जनाधार से बौखलाकर तृणमूल कांग्रेस की तरफसे तल्ख प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक नेता होगा, जो यह बात नहीं कहता कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। शायद ही कोई हिंसा की आलोचना में पीछे रहता है। पर सच यही है कि भारतीय राजनीति में हिंसा कोई नयी बात नहीं है। निस्संदेह, बंगाल तो भद्रजनों की भूमि है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष यह है कि बंगाल में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, समर्थकों के बीच हिंसक टकराव का पुराना इतिहास रहा है। 1970 के दशक से यह हिंसा जारी है। तब के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने ऐसी ही हिंसा को हवा दी थी। फिर 34 लंबे सालों तक वाममोर्चा ने बंगाल में शासन किया। ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य सरीखे महान मुख्यमंत्री हुए, लेकिन बंगाल के चप्पे-चप्पे, इलाके-दर-इलाके हिंसा की 'लाल फौज' स्थापित की जाती रही। वे गुंडे और हिंसक तत्त्व लाल पार्टी के लिए चुनावी बूथ भी छापती

थी और अवैध मतदान भी कराया जाता था। 2011 में ममता सत्ता में आई, तो वह फौज भी स्थानांतरित हो गई। अब 2014 में मोदी उभार के बाद वही जमात ममता बनर्जी और भाजपा में विभाजित है और अपने-अपने नेतृत्व के इशारे पर ईट, पत्थर, कांच की बोतलें, गोली और बम की भाषा में बोलती है। कोई एक ही पक्ष हिंसा नहीं कर रहा है। कई इलाके नक्सली हिंसा की जद में रहे हैं।

कालांतर वामदल के कैडर में ऐसे घटक शामिल रहे जो बाहुबल के आधार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करते रहे। जब तृणमूल कांग्रेस ने 'लाल दुर्ग' पर पार्टी का परचम लहराना शुरू किया तो पार्टी को भी हिंसक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि कालांतर वे ही तत्व तृणमूल कांग्रेस के कैडर में शिफ्ट हो गये, जिसके चलते स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की परंपरा बाधित हुई। अब बदलाव की आहट में भाजपा को उसी तरह के हिंसक प्रतिरोध का सामना सत्तारूढ़ दल के कैडर से करना पड़ रहा है, जैसे वाम सत्ता के पराभव के दौरान तृणमूल कांग्रेस को करना पड़ा था। यानी राज्य में राजनीति का चेहरा ही बदलता है, मोहरे अदला-बदली करते रहते हैं। आंकड़ों की जुबानी बात की जाए तो बीते चार सालों में भाजपा के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक भी मारे गए हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर पथराव करना, हमले की योजना तैयार कर घेराबंदी करना, वाहनों के काफिले के सामने लेट कर और काले झंडे दिखा कर अवरोध पैदा करना कमोबेश बंगाल की बुनियादी संस्कृति नहीं है। बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, राजा राममोहन राय, रवींद्र नाथ टैगोर, बंकिमचंद्र चटर्जी और ईश्वर चंद विद्यासागर सरीखे महान और कालजयी व्यक्तित्वों की धरती है। निस्संदेह, पश्चिम बंगाल में लगातार जारी हिंसा और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं का सिलसिला लोकतंत्र की शुचिता के लिये बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर देश के सभी राजनीतिक दलों को गंभीर मंथन करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस हमले को बेहद गंभीरता से लिया है। बंगाल सरकार के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से स्पष्टीकरण मांगने के साथ-साथ राज्यपाल की रपट भी मंगवाई गई है। इसी दौरान खबर आई है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र को रपट मेल कर दी है। फोकस यह रहा है कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल है। ऐसे में देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करती है अथवा नहीं? बंगाल में विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई, 2021 में होने हैं। अभी तक सदन में भाजपा के मात्र 3 विधायक हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीत कर सभी को चैंका दिया था। करीब 125 विधानसभा सीटों पर जीत! यकीनन ममता सरकार के लिए यह गंभीर चुनौती है।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

संग्राम जीवन का

संग्राम जीवन का नही थमता , न थमता सिलसिला जीत और हार का कभी खुशी के पल तो आते हैं कभी मायूसी के दिन पर न रुकता फलसफा मन की मार का सोते हुए कभी दिखें स्वप्न दुरूह से कभी सब बिछड़ता लगे रूह से पर नही टिकता ज्ञान नशा अहंकार का लोग मरते हैं फिर जन्मते हैं यही तो ध्येय है संसार का।

- मधुलिका शुक्ला

धरे हाथ पर हाथ

धरे हाथ पर हाथ सब, ताक रहे मुख आज। सड़ी मछलियां ताल में, बिगड़ा हुआ समाज। बिगड़ा हुआ समाज, दोष किसके सिर मढ़ते। दे दी जिनको छूट, वही कौतुक नित करते। हुई व्यवस्था भंग, कौन अब साफ करे सब। पुलिस न्याय नेतृत्व, हाथ पर हाथ धरे अब।

- हरिवल्लभ शर्मा 'हरि'

ख़ास पाती | अश्कों की रवानी में उल्फत का

अश्कों की रवानी में उल्फत का फ़साना है कब झाँक सका दिल में बेदर्द ज़माना है दुनिया की रवायत से नाकाम हुए आशिक किस्मत की लकीरें तो इक कोरा बहाना है शम्मा की आशिकी में परवाना जला शबभर दस्तूर मुहब्बत का हर हाल निभाना है धरती को मयस्सर है अम्बर की इनायत कब ख्वाबों में अधूरी हर ख़्वाहिश का ठिकाना है बेचैन सवेरों सँग आँखो में कटी रातें आ बैठो तुम्हें अपना दिल हाले सुनाना है।

- पूजा बंसल

हर नारी मे निहित एक नदी

हर नारी मे निहित एक नदी है,जो.जानती है नियति मेरा सागर है। वह यह.भी जानती है कि, होकर विलीन सागर के बाहु पास में, अपना अस्तित्व विलुप्त हो जाएगा। फिर भी प्रेम की पराकाष्ठा है कि मीलों.की सम विषम यात्रा कर, बड़े अरमानों से कल कल बहती, निश्छल निर्मल सागर मे मिलकर नदी निर्मूल निराकार हो जाती है।

- कुमुद रंजन झा

तन्हा सफर लम्बी जुदाई. आंखों

तन्हा सफ़र लम्बी जुदाई.. आंखों में नमी सदा मुस्कुराई.. दिल की बेचैनी नज़र नहीं आई,.. बेपरवाह रहा वो वफ़ा भी रंग लाई.. इश्शश इश्शश.. इश्क़ ने दी दुहाई... साँसों ने धड़कन.. प्रीत ने रीत निभाई.. फिर वफ़ा रही चुप हदों से निकली बेवफाई.. हौले से वक़्त गुज़रा.. चुपके से रो पड़ी तन्हाई.. कि नंदिता अब तो समझो सही न जाएगी ये जुदाई....!!

- नंदिता तनूजा

सुनों हमारी बांग बहादुर जब भी

सुनों हमारी बांग बहादुर जब भी मिलते चौराहे परतुमनें हमसे देश काल की बातें की थी कभी नहीं की बातें तुमनें बलात्कार की क्या अपनी सरकार नहीं थी। जाति धर्म के ऊपर भी है मानवता भी क्या इसकी दरकार नहीं थी सुनों हमारी बांग बहादुर जब भी मिलते चौराहे पर तुमनें हमसे देश काल की बातें की थी।

- प्रतिमा शर्मा

अब हम 2020 के अंतिम महीने में

अब हम 2020 के अंतिम महीने में आ गए है जाने अनजाने में यदि हमने आप का दिल दुखाया हो???? तो 2021 में भी तैयार रहना क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदलेगा हम नहीं..!

- धीरज सिंह धीरू

सबका अन्नदाता हूँ भाग्य विधाता हूँ

सबका अन्नदाता हूँ भाग्य विधाता हूँ फर्ज तो बखूबी अदा कर रहा हूँ। पहले थे नोटों पर अब हैं रोडों पर हल है साथ समस्या उठा रहा हूँ । सुनो सियासतदानों ख्याल पेट की थाली सबकी सजा रहा हूँ।

- सुरेश वैष्णव

प्रभु राम लंकेश से जीत सीता को

प्रभु राम लंकेश से जीत सीता को ले आये पर एक धोबी के परिहास से उन का त्याग कर समाज मे गलत संदेश छोड़ दिया। प्रभु की लीला जो थी पर लोगों ने इसे गलत ढंग से ले लिया काश प्रभु इन व्यर्थ की बातों का भी विरोध करते समाज मे पंगुता न आती।

- संध्या चतुर्वेदी

QUIZ TIME

1) राज्य शासन द्वारा 'गढ़िया महोत्सव' किस जिले में मनाया जाता है?
2) ज्वारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है?
3) 'मरकुद्वीप' छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है?
4) 'छत्तीसगढ़ी लोक बैले' कहा जाता है:
5) यह बांस का बना बांसुरी जैसा सुषिर वाद्य का नाम बताइए?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) कांकेर (2) माता दुर्गा (3) [illegible] के कारण (4) पंडवानी (5) अलगोजा

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1631 - इटली के माउंट विसुवियस में ज्वालामुखी विस्फोट से छह गांव तबाह, चार हजार से अधिक लोग मारे गये। 1707 -जापान के माउंट फुजी पर्वत में अंतिम बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। 1862-नेपाल में संविधान लागू हुआ। 1889 - ब्रिटिश संसद की अधिकार घोषणा को राजा विलियम और रानी मेरी ने स्वीकृत कर शासन में जनता के अधिकार को मान्यता दी। 1920- चीन के कांसू प्रांत आए भूकंप के कारण से एक लाख से अधिक लोगों की मौत। 1927- आस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने न्यूसाउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच से अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत की। 1920 - कलकत्ता (अब कोलकाता) विद्युत आपूर्ति निगम ने हुगली नदी में नहर की खुदाई आरंभ की। 1937 - भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हवा सिंह का जन्म। 1951 - हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की स्थापना की गयी। 1958- कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में एक गोदाम में लगी भीषण आग में 82 लोगों की मौत। 1959- पश्चिमी पाकिस्तान के लोवाराय दर्रे में भारी हिमपात से 48 लोगों की मौत। 1971 - भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बंगलादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1985 -तमिलनाडु के कलपक्कम में पहले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर) की स्थापना की गयी। 1991 - कजाखस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की। 1993- नयी दिल्ली में 'सभी के लिए शिक्षा' सम्मेलन प्रारम्भ।

पिता की मौत के बाद ट्रोल करने वालों को दिव्या अग्रवाल का करारा जवाब, बोलीं-शोक का कोई नियम है क्या?

नई दिल्ली। एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल को उनके पिता के निधन के बाद जमकर ट्रोल किया गया था। दरअसल, दिव्या ने अपने पिता के निधन के दूसरे दिन अपनी तस्वीरें पोस्ट की थी। जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी जमकर आलोचना की थी। अब दिव्या ने एक इंटरव्यू में पिता के निधन को लेकर ट्रोल करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है।

दिव्या ने बॉम्बे टाइम्स से कहा कि वह अपने पिता की मौत के दो दिन बाद काम पर लौट गई थीं। दिव्या ने कहा कि उनके काम के लिए उन्हें अपनी रियल इमोशन्स को छिपाने और खुश दिखने की आवश्यकता है। एक्ट्रेस ने कहा कि अब परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य होने के नाते उन्हें अपनी मां और छोटे भाई के लिए काम करते रहना है। दिव्या ने कहा, ÷मैं सबके सामने रो सकती थी, जैसा कि लोगों को उम्मीद थी, लेकिन इससे मेरे अपनों पर असर पड़ेगा। पापा के बाद, मेरा छोटा भाई मुझे देखता है, मुझे उसके लिए स्ट्रांग रहना है। दिव्या ने आगे कहा कि उनका दुख पर्सनल है। उन्होंने कहा, ÷जिस तरह से लोग चाहते हैं, मैं उस तरह से दुख जाहिर नहीं कर सकती हूं। क्या शोक के लिए कोई नियम है? मैंने अपनी मां को व्हाइट कपड़े पहनने नहीं दिए। रियल में उनके (पापा) अंतिम संस्कार में किसी ने भी सफेद कपड़े नहीं पहने थे।

ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए अर्जुन रामपाल को एनसीबी ने फिर किया तलब

नई दिल्ली। अभिनेता अर्जुन रामपाल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में एक बार फिर से पूछताछ करने के लिए समन जारी किया है। इससे पहले भी एनसीबी की ओर से अर्जुन रामपाल से एक बार पूछताछ की जा चुकी है। यही नहीं उनकी पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स से भी एजेंसी ने पूछताछ की है। इसके अलावा गैब्रिएला के भाई को अरेस्ट भी किया जा चुका है। एनसीबी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि नए सबूत सामने आने के बाद एजेंसी अर्जुन रामपाल से पूछताछ करना चाहती है। बुधवार यानी 16 दिसंबर को अर्जुन रामपाल पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष पेश हो सकते हैं। पिछले महीने ही एनसीबी की टीम ने अर्जुन रामपाल के बांद्रा स्थित घर पर सर्च की थी। इस दौरान एजेंसी ने उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जांच के लिए बरामद किया था।

दिनेश लाल यादव ने अपनी नई फिल्म 'घर-परिवार' का किया ऐलान, फैन्स बोले-रिलीज का है इंतजार

नई दिल्ली। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ फिर से बड़े पर्दे पर धमाका करने आ रहे हैं। दिनेश लाल ने अपनी अपकमिंग फिल्म का ऐलान इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए किया है। दिनेश की नई फिल्म का नाम 'घर-परिवार' है। दिनेश को उनकी नई फिल्म की इंडस्ट्री फ्रेंड्स से लेकर फैन्स तक बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- आपको बहुत-बहुत बधाई हो भइया। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- आपकी फिल्म का इंतजार है। नई फिल्म की बधाई देते हुए एक फैन ने लिखा- रिलीज का इंतजार है। फिल्म हिट होगी। दिनेश लाल की नई फिल्म के डायरेक्टर जगदीश शर्मा और प्रोड्यूसर प्रवेश लाल यादव हैं। इसके पहले दिनेश ने एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे संग एक फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'ठीक है।' इस फोटो में आम्रपाली और दिनेश दुल्हन-दूल्हे के गेटअप में नजर आ रहे हैं। दिनेश की इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए अक्षरा सिंह ने लिखा- 'एक दम ठीक है।' सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वालीं आम्रपाली ने हाल ही में अपना एक डांसिंग वीडियो पोस्ट किया था। जिसमें वह 'यादव जी के चौकी टूट गइल' गाने पर डांस कर रही हैं। वीडियो के साथ एक्ट्रेस ने लिखा- 'सभी टैग जी लोग को टैग करें।' आम्रपाली के इस वीडियो पर भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने तीन फनी इमोजी से रिएक्ट किया है।

जब कियारा आडवाणी को रिपोर्टर ने 'कायरा' नाम से बुलाया था, ऐसा था एक्ट्रेस का रिएक्शन

नई दिल्ली। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई इस समय करियर फेज एंजॉय कर रहा है तो वह कियारा आडवाणी हैं। एक्ट्रेस ने करियर की शुरुआत साल 2014 में फिल्म 'फगली' से की थी। हाल ही में इनकी फिल्म 'इंदु की जवानी' रिलीज हुई, जिसे दर्शकों से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी बीच कियारा आडवाणी का एक किस्सा सामने आया है। दरअसल, एक रिपोर्टर ने कियारा आडवाणी का नाम गलत प्रोनाउंस किया था, जिसके बाद एक्ट्रेस का रिएक्शन देखने लायक था।

रिपोर्टर ने सवाल पूछते हुए उन्हें 'कायरा' नाम से बुलाया। इसपर एक्ट्रेस ने कहा कि आपने मुझे क्या बुलाया? आपने कायरा कहा या कियारा? नाम को गलत प्रोनाउंस करने की वजह से मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी। हालांकि, बाद में मजाक करते हुए रिपोर्टर से कियारा ने ठीक तरह से नाम लेने की गुजारिश की।

लैंड रोवर ने भारत में शुरू की डिफेंडर प्लग-इन हाइब्रिड की बुकिंग

- न्यू डिफेंडर प्लग-इन हाइब्रिड सबसे दमदार और फ्यूल-इफिशन्ट डिफेंडर है और जगुआर लैंड रोवर इंडिया की पहली प्लग-इन हाइब्रिड
- 2.0 आई पी इंजेनियम इंजन के अलावा, इसमें 19.2 kWh की लीथियम-आयन बैटरी

मुंबई। जगुआर लैंड रोवर इंडिया ने आज घोषणा की कि उसने भारत में अपने पहले प्लग-इन हाइब्रिड, न्यू डिफेंडर पी400ई की बुकिंग शुरू कर दी है। दमदार 2.0-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और 105 kW इलेक्ट्रिक मोटर को एक साथ लाते हुए पी400ई 297 kW का कम्बाइंड पावर और 640 एनएम का कम्बाइंड टॉर्क डेवलप करता है। इसकी बदौलत न्यू डिफेंडर महज 5.6 सेकंड में 0-100 किमी/प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है और 209 किमी/प्रति घंटा की टॉप स्पीड हासिल करता है। न्यू डिफेंडर पी400ई में 19.2 केडब्ल्यूएच की बैटरी है, जिसे घर या ऑफिस में 15ए सॉकेट या 7.4 kW एसी वॉल बॉक्स चार्जर का इस्तेमाल करके चार्ज किया जा सकता है। वॉल बॉक्स चार्जर वाहन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। जगुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित सूरी ने कहा, हम भारत में अपना पहला प्लग-इन हाइब्रिड, न्यू डिफेंडर पी400ई पेश करते हुए बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। यह एक ऐसा वाहन है, जो लैंड रोवर की लीजेंडरी ऑफ-रोड क्षमताओं को बरकरार रखते हुए परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच बेहतरीन संतुलन साधता है। नवंबर 2020 में जगुआर आई-पेस की बुकिंग शुरू करने के बाद, यह जगुआर लैंड रोवर के समूचे पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रीफाइड व्हीकल्स पेश करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

भारत में लैंड रोवर का उत्पाद पोर्टफोलियो:

भारत में लैंड रोवर रेंज में रेंज रोवर इवोक (58.67 लाख रूपये से शुरू), डिस्कवरी स्पोर्ट (59.91 लाख रूपये से शुरू), रेंज रोवर वेलार (73.30 लाख रूपये से शुरू), न्यू डिफेंडर (77.37 रूपये से शुरू), डिस्कवरी (75.59 रूपये से शुरू), रेंज रोवर स्पोर्ट (88.24 रूपये से शुरू), रेंज रोवर (196.82 रूपये से शुरू)। सभी उल्लेखित कीमतें भारत में एक्स-शोरूम की कीमतें हैं।

सोने-चांदी के भाव में आया बदलाव, जानें 24 से 14 कैरेट तक का रेट

नई दिल्ली। सर्राफा बाजारों में आज फिर सोने-चांदी के भाव में तेजी आई है। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव 371 रुपये चढ़कर 49230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी 313 रुपये महंगी होकर 62913 रुपये प्रति किलो पर खुली। बता दें इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है।

लाल निशान पर बाजार, 134 अंक लुढ़का सेंसेक्स

नई दिल्ली। कमजोर वैश्विक संकेतों और इंफोसिस, टीसीएस तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में नरमी के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 130 अंक से अधिक गिर गया।इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 135.05 अंक यानी 0.29 प्रतिशत टूटकर 46,118.41 पर कारोबार कर रहा था। एनएसई निफ्टी 48.55 अंक यानी करीब 0.36 प्रतिशत गिरकर 13,509.60 पर था।

सेंसेक्स में सबसे अधिक लगभग दो प्रतिशत की गिरावट एक्सिस बैंक में हुई। इसके अलावा ओएनजीसी, एमएंडएम, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, एसबीआई, एचयूएल, एलएंडटी, टाइटन, इंफोसिस और टीसीएस भी लाल निशान में थे। शुरुआती सौदों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 0.38 प्रतिशत नीचे थे।

दूसरी ओर एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति और बजाज ऑटो में बढ़त देखने को मिली। कारोबारियों ने कहा कि वित्तीय शेयरों और चुनिंदा बैंकिंग शेयरों पर बिकवाली का भारी दबाव देखा गया। उन्होंने कहा कि एशियाई और वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई।

सीग्राम्स ब्लेंडर्स प्राइड ने जीते तीन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

मुंबई। परनोड रिकार्ड इंडिया दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित तीन स्प्रिट प्रतियोगिताओं में सीग्राम्स ब्लेंडर्स प्राइड को मिले पुरस्कारों का जश्न मना रही है। ब्लेंडर्स प्राइड ने मोंडे सिलेक्शन 2020 में गोल्ड अवार्ड, दि फिफ्टी बेस्ट में गोल्ड मेडल और लंदन स्प्रिट प्रतियोगिता 2020 में कांस्य पदक प्राप्त किया है।

सीग्राम्स ब्लेंडर्स प्राइड 1995 में लॉन्च की गई एक प्रीमियम इंडियन व्हिस्की है, जो बिना कृत्रिम स्वाद के भारतीय अनाजों के स्प्रिट और स्कॉटिश माल्ट का एक मिश्रण है। यह प्रीमियम व्हिस्की फाइन व्हिस्की को ब्लेंड करने के 160 साल की महान परंपरा का परिणाम है। ब्रांड की विशेषता कोई कृत्रिम स्वाद नहीं, बेहतर गुणवत्ता और असाधारण स्वाद ही इसे वर्षों से अपनी श्रेणी में अग्रणी बनाए हुए है। पुरस्कारों पर बोलते हुए कार्तिक मोहिंद्रा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, परनोड रिकार्ड इंडिया ने कहा, ÷मोंडे सिलेक्शन दि फिफ्टी बेस्ट और लंदन स्प्रिट्स प्रतियोगिता में सीग्राम्स ब्लेंडर्स प्राइड द्वारा तीन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतना हमारे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। परनोड रिकार्ड इंडिया में हम हमेशा बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पारदो की पेशकश करने और अपने उपभोक्ताओं को सही मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं यह उपलब्धियां हमारी गुणवत्ता की पेशकश का प्रमाण हैं जो हमारे उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और युवाओं के लिए पसंदीदा ब्रांड के रूप में हमारी बाजार स्थिति को और मजबूती प्रदान करते हैं।

मोंडे सिलेक्शन दुनिया का अकेला गुणवत्ता संस्थान है, जो स्प्रिट्स और लिकर के लिए वैश्विक गुणवत्ता मूल्यांकन की पेशकश करता है। स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक पैनल उपभोक्ताओं के लिए संवेदी वैज्ञानिक और कानूनी पहलुओं को कवर करने वाले 30 मापदंडों के आधार पर प्रत्येक प्रोडक्ट का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करता है। एक वैज्ञानिक और कानूनी दृष्टिकोण से कार्यान्वित, मोंडे सिलेक्शन की प्रक्रिया नियमित टेस्टिंग से कही आगे है। स्प्रिट्स और लिकर जूरी को प्रत्येक प्रोडक्ट का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करने और अपनी जानकारी एवं अनुभव साझा करने में बहुत अधिक समय लगता है। मूल्यांकन की यह प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष चार माह की अवधि में पूरी होती है।

सैनी और उमेश में से कौन कर सकता है ईशांत को रिप्लेस

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के चार टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर सीरीज सीरीज शुरू होने में अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। दोनों टीमों के बीच 17 दिसंबर से सीरीज का पहला मैच एडिलेड में खेला जाएगा। यह एक डे-नाइट टेस्ट मैच होगा। भारत को डे-नाइट टेस्ट मैच खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं है और उसने अब तक केवल एक ही मैच खेला है। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले दोनों ही टीमें चोट की समस्या से गुजर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और विल पुकोवस्की एडिलेड टेस्ट से बाहर हो चुके है, वहीं भारत की तरफ से रोहित शर्मा शुरुआत दो टेस्ट और टेस्ट स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इस बीच, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने उस गेंदबाज का नाम लिया है जो टेस्ट सीरीज में ईशांत शर्मा को रिप्लेस कर सकता है।

स्टीव स्मिथ ने बीच में छोड़ा ट्रेनिंग सेशन, फिटनेस को लेकर उठे सवाल

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर सीरीज का पहला मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाना है। दोनों ही टीमें खिलाड़ियों की चोट से काफी परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर पहले ही ग्रोइन इंजरी के चलते पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं और अब स्टीव स्मिथ के भी इंजरी की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मिथ ट्रेनिंग सेशन बीच में ही छोड़कर चले गए क्योंकि उनकी पीठ में दिक्कत हो रही थी।

मंगलवार को स्मिथ 10 मिनट के ट्रेनिंग सेशन के बाद ही वापस लौट गए। ऐसे में अब उनके पहले टेस्ट में खेलने को लेकर सस्पेंस बन गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वनडे इंटरनैशनल सीरीज में 2-1 हराया था और स्मिथ मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे। स्मिथ ने पहले दोनों वनडे मैचों में सेंचुरी ठोकी थी। टी20 इंटरनैशनल सीरीज में हालांकि स्मिथ कुछ खास नहीं कर सके थे। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो स्मिथ को मौजूदा समय में दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में शामिल किया जाता है।

पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के 0-4 से हारने की भविष्यवाणी

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में 17 दिसंबर से चार मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। इस सीरीज से पहले दोनों देशों के बीच वनडे और टी-20 सीरीज हुई, जिसमें दोनों टीमों ने एक-एक सीरीज अपने नाम की। पूरी दुनिया की निगाहें इस सीरीज पर हैं, ऐसे में जैसे-जैसे सीरीज शुरू होने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे पूर्व क्रिकेटरों की बयानबाजी और सीरीज को लेकर भविष्यवाणियों का दौर भी शुरू हो गया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने हाल ही में भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगर भारत कंगारू टीम के खिलाफएडिलेड में होने वाले पहले मैच में हार जाता है तो उसे सीरीज के अगले तीन मैचों में भी हार का सामना करना पड़ेगा। उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि शायद वो दोनों देशों के बीच हुए पिछली टेस्ट सीरीज के नतीजे को भूल गए हैं।

न्यायालय नायब तहसीलदार कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष 2020-21
ई कोर्ट नं. 202011082900020
ग्राम- मिरमिट्टी प.हनं. 08

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मुकेश पिता उधे जाति लोधी एवं अन्य 01 साकिन जिन्दा द्वारा ग्राम मिरमिट्टी प.ह.नं. 08 में आवेदक के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 199/1, 204/2 शामिल 204/10, 204/9, 204/17 रकबा 0.308, 0255, 0.194, 0.198 कुल ख.नं. 04 कुल रकबा 0.955 लगान 1.62 का मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने के कारण डुप्लीकेट ऋणपुस्तिका प्रदाय किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी सुनवाई दिनांक 25/11/2020 को नियत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा/आपत्ति पेश करना हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर इस न्यायालय में नियत समय व तिथि तक दावा-आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जारी दिनांक 04.11.2020
पेशी दिनांक 25.11.2020

सील
कार्यपालन दण्डाधिकारी
कवर्धा

न्यायालय नायब तहसीलदार कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष 2020-21
ई कोर्ट नं. 202011082900041
ग्राम- बम्हनी प.हनं. 07

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका आरती बेवा स्व. श्री महेन्द्र कौशिक जाति लोधी निवासी ग्राम बम्हनी तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.) द्वारा अपने पति स्व. महेन्द्र कौशिक पिता स्व. रामफल कौशिक की मृत्यु दिनांक 14.09.2012 का पंजीयन करने हेतु रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु ग्राम पंचायत बम्हनी जिला कबीरधाम (छ.ग.) को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं छ.ग. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के नियम 9(3) के तहत निर्देश देने हेतु शपथ पत्र एवं अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, पंचनामा, चालान, आधार कार्ड, सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी सुनवाई दिनांक 29/12/2020 को नियत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा/आपत्ति पेश करना हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर इस न्यायालय में नियत समय व तिथि तक दावा-आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जारी दिनांक 11.12.2020
पेशी दिनांक 29.12.2020

सील
कार्यपालन दण्डाधिकारी
कवर्धा

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी रायपुर

नोटिस

क्रमांक/148/ब-121/2019-20/856 रायपुर, दिनांक 09 दिसम्बर,2020

प्रति,

1. मेसर्स परिहार एसोसिएट्स पाटनर्स राजेश परिहार व ओंकार सिंग
2. श्रीमती विनीता परिहार पति राजेश
3. सर्वेंद्र सिंह परिहार,

निवासी बी-7, ओंकार निवास सुपर इस्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर

आवेदक प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक तेलीबांधा शाखा रायपुर की ओर से अलग अल्ला शरीक अधिवक्ता ने आवेदन पत्र/शपथ पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर, आवेदन पत्र से आपको बैंक से 40,00,000.00 रुपये का कैश क्रेडिट ऋण दिया गया था, और राजेश परिहार के स्वामित्व की अचल संपत्ति बैंक के पक्ष में बंधक रखी गयी थी। आपके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जा रही है। जिसके कारण बैंक द्वारा आप को अधिनियम की धारा 13 के तहत् नोटिस जारी किया गया कि आप ऋण की अदायगी मय ब्याज एवं अन्य शुल्क रूपया 41,97,267.00 अदा करें, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति बैंक अपने हक में प्राप्त कर लेगी कि जानकारी दी जाकर, बैंक के पक्ष में बंधक रखी संपत्ति का कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया है।

2/ आपने प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक तेलीबांधा शाखा रायपुर से 40,00,000.00 रुपये का ऋण प्राप्त कर राजेश परिहार के स्वामित्व की अचल संपत्ति बैंक के पक्ष में बंधक रखी है।

3/ अतः आपके द्वारा लिये गये ऋण के पक्ष में राजेश परिहार के स्वामित्व की बंधक रखी गई अचल संपत्ति को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये क्यों न आधिपत्य में लेने की कार्यवाही की जावे। आप स्वयं अथवा अपने नियुक्त अभिभाषक के माध्यम से ऋण से संबंधित एवं बंधक रखी गई संपत्ति से संबंधित दस्तावेज लेकर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु इस न्यायालय में पेशी दिनांक 21.12.2020 को ठीक 3.00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। नियत तिथि में उपस्थित नहीं होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर, प्रकरण में निर्णय ले लिया जावेगा।

आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर
जिला दंडाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
कार्यालय वन मंडलाधिकारी बस्तर वन मंडल, जगदलपुर
// संक्षिप्त निविदा सूचना आमंत्रण //

बस्तर वनमण्डल जगदलपुर अंतर्गत समस्त परिक्षेत्रों में निर्माण/वानिकी कार्यों हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री प्रदाय हेतु सीमेंट (ISI, PPC, PSC, Makrked) 53Grade 50 कि.ग्रा. पैक, छड़, गिट्टी, रेत सूक्ष्म साफ, मिट्टी रहित एवं निर्माण योग्य, मुरूम, उपजाऊ मिट्टी, फ्लाई एश ब्रिक्स(ईट) साईज 20"x10"x10 से.मी., लाल ईंट साईज 20"x10"x10 से.मी. सीमेंट ईट-साईज 30x20x15 से.मी. (Accepted Limit-5N.mm2 or 50kg/cm2) बाईडिंग वायर, तार खीला, वॉल टाईल्स, टाईल्स Vitrifice Digital, Ceramic, Glazed Tiles, Parking Tiles Plane टाईल्स 300x300 (पार्किंग टाईल्स डिजाइनर) प्लाई, मार्बल पत्थर, ग्रेनाईट, फाईवर शीट, ए.सी.पी. शीट कार्य, एल्युमीनिय सेक्सन सहित) Aluminium Section Door एवं Window कार्य 06mm Glass सहित लेमीनेशन डोर, पी.वी.सी. शीट डोर एल्युमीनियम सेक्सन चौखट सहित, साल चौखट, एम.एस. आयरन Square rod ग्रिल, एम.एस. एंगल आयरन ट्रश परलिन बनाने सहित, एम.एस. आयरन M.S. Sheet बोर्ड, M.S.Sheet Windo लोहे की खिड़की (चौखट सहित) M.S. sheet door लोहे का दरवाजा (चौखट सहित) Iron collapasable gate, Percoated Tile Pattern Profile Sheet, Precoated Plain Profile Sheet, Galvanized Iron Profile Sheet, Concertina coil fencing डेकोरेटिव टाईल्स (खपरा) साईज, ट्युब वेल खनन 150mm Diameter एम.एस. केसिंग पाईप 150mm Diameter जी.आई.पाईप 90एम.एम. Diameter एस्बेस्टर शीट, बोनमील, नीमखली, रासायनिक खाद, ग्रीन नेट, चूना, गेरू, कोलतार, पेन्ट, डिस्टेम्पर, इमलशन डिस्टेम्पर, प्रायमर (लकड़ी), प्रायमर (लोहा) हेतु सामग्री क्रय तथा निर्माण सामग्री परिवहन, राजस्थानी ट्रेक्टर से खुदाई एवं समतलीकरण करने हेतु तथा पोकलेन्ड मशीन तथा जे.सी.बी. मशीन को किराए से प्राप्त करने के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें कार्यालीयन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र हेतु राशि रु. 1000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर के नाम से देय हो जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा रजिस्टर पोस्ट (ए.डी.) स्पीड पोस्ट अथवा पी.एण्ड टी. विभाग में अधिकृत कोरियर या वनमण्डल कार्यालय में सीधे जमा किया जा सकता है।

उक्त प्रथम निविदा में सामग्रियों की उचित दर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में द्वितीय चक्र की निविदा दिनांक 30.12.2020 एवं तृतीय चक्र की निविदा दिनांक 05.01.2021 को आमंत्रित की जाती है।

क्र.	विवरण	प्रथम निविदा की तिथि एवं समय	द्वितीय निविदा की तिथि एवं समय	तृतीय निविदा की तिथि एवं समय
1	निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 04.01.2021 सायंकाल 5.00 बजे तक	दिनांक 11.01.2021 सायंकाल 5.00 बजे तक	दिनांक 18.01.2021 सायंकाल 5.00 बजे तक
2	निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 05.01.2021 दोपहर 3.00 बजे तक	दिनांक 12.01.2021 दोपहर 3.00 बजे तक	दिनांक 19.01.2021 दोपहर 3.00 बजे तक
3	निविदा खोले जाने की तिथि	दिनांक 05.01.2021 सायंकाल 4.00 बजे	दिनांक 12.01.2021 सायंकाल 4.00 बजे	दिनांक 19.01.2021 सायंकाल 4.00 बजे
4	निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

जी-85607/2
वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल जगदलपुर

बंद ट्रेनों ने छीना निवाला

सैकड़ों वेंडर आ गए सड़क पर

भाटापारा। छोटी लागत, कम कमाई। ज्यादा मेहनत, कम आय। और रोजाना चलने वाले यात्रियों से जान-पहचान की मदद से गृहस्थी की गाड़ी खींचने वाले 13 ऐसे छोटे से काम पर रोक लग चुकी है जिसे अब तक सम्मान का हकदार नहीं माना जा सका है। यह काम उन ट्रेनों के चलते पहियों के चलने पर चला करता था, जिसमें अब ब्रेक लग चुका है। थमे हुए यह पहिए कब चलेंगे? बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

ट्रेनों के सहारे जीवन यापन करने वाले दूसरे वर्गों पर ब्रेक के बाद अब 13 ऐसे छोटे-मोटे काम पर पूरी तरह ताले लग चुके हैं, जिनके चलते रहने पर ही जीवन की गाड़ी खींची जाती थी। 8 महीनों से बंद रेल सेवा के बाद यह बेहद छोटा सा वर्ग अब या तो गांव-देहातों में फेरी लगाकर रोजी-रोटी का इंतजाम कर रहा है या स्ट्रीट वेंडर के रूप में रोटी की तलाश में निकल चुका है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कबाड़ के ढेर में रोटी तलाशनी शुरू की हुई है पर दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद भी जो रोटी मिल रही है उससे भूख मिटाना बेहद मुश्किल काम लगने लगा है।

सड़क पर रोटी की तलाश

यात्री ट्रेनों के चलते रहने पर ट्रेनों में चाय, समोसा, आलू गुंडा, चना, मूंगफली, मोबाइल के पावर बैंक, छोटे खिलौने, ताश की पत्तियां, बूट पॉलिश, बैग की चैन मरम्मत करने वाले, गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स और फल हॉकर, प्लेटफार्म पर फेंकी गई पानी की बोतलों में फिर से पानी भरकर बेचने वालों के साथ पॉपकॉर्न और रेवड़ियां बेचने वाले अब सड़क पर आ चुके हैं। कारोबार बदलने के बीच कुछ ने गांव-देहात का रास्ता पकड़ लिया है, कबाड़ खरीदने और बदले में प्लास्टिक के सामान देने का तो कुछ ने फेरी लगाकर हाथ से निकलती जीवन की डोर थामने की कोशिश चालू कर दी है।

हो गए बेसहारा

रेल परिचालन पूरी तरह बंद किए जाने पर दो ऐसे वर्ग हैं जो पूरी तरह सड़क पर आ चुके हैं। यह है वह दिव्यांग भिक्षुक और ऐसे थर्ड जेंडर जिनके पास केवल यात्री ट्रेनें ही थी। जिनको यात्रा करने वाले यात्रियों से ही मदद मिलती थी। इसी मदद से घरों के चूल्हे भी जला करते थे। अब यह सब सड़कों पर या टोल प्लाजा पर रोटी की तलाश कर रहे हैं।

कर रहे इंतजार

ट्रेन से जुड़ा हुआ एक और वर्ग परिचालन के बंद होने के बाद से हताश हो चुका है। यह है वे ऑटो चालक जिन पर दोहरी मार पड़ चुकी है। तय संख्या में सवारियों की अनुमति, सीमित संख्या में चलती ट्रेन और सीमित संख्या में बाहर आते यात्री। शर्तों के बंधन के बीच किराया बढ़ाकर गृहस्थी की गाड़ी चलाने के प्रयासों को झटका लग चुका है क्योंकि आरक्षण पर ही यात्रा कर के उतर रहा यात्री पहले ही बढ़ा हुआ किराया का बोझ लेकर उतर रहा है। रही-सही कसर चौक-चौराहों पर जांच पूरी कर रही है।

कांग्रेस महासचिव ने किया विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन

उतई। प्रदेश कांग्रेस महासचिव जितेंद्र साहू ने शुक्रवार को डुमरडीह, खोपली, घुघसीडीह, मचांदूर, चिरपोटी व मतवारी में लाखो के विभिन्न विकास कार्यो का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव ने की। जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख, जिला पंचायत सभापति योगिता चन्द्राकर, जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती झमित गायकवाड, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार सेन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य केशव बंटी हरमुख विशेष अतिथि थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों ने डूमरडीह में 19 लाख, खोपली में 25 लाख, घुघसीडीह में 10.36 लाख, मचांदुर में 16.61 लाख, चिरपोटी में 10.64 लाख व मतवारी में 17.50 लाख इस तरह कुल 99 लाख 11 हजार रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यो का भूमिपूजन किया। इस दौरान जितेंद्र साहू ने कहा कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्रामो में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के प्रयास से मूलभूत सुविधा व ग्राम विकास को गति प्रदान करते हुए विकास कार्यो की स्वीकृति शासन से दिलाया है। जिसका भूमिपूजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्ग ग्रामीण में 600 करोड़ के काम की मंजूरी मिली है। जिसमें से कई कार्य शुरू हो चुके है।

गन्ना किसानों को लाभांश राशि और 50 किलो शक्कर जारी करें अन्यथा नगाड़ा लेकर घेराव करेगा युवा मोर्चा

कवर्धा(नवप्रदेश)। जिलाधीश और लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया के प्रबंधक को भाजयुमो जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी के नेतृत्व में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने गन्ना कृषकों को 2 वर्षो से लंबित लाभांश राशि वितरित करने कई बार ज्ञापन देने के बाद भी आज दिनांक तक किसानों को लाभांश राशि जारी नही किया गया है। कैलाश चंद्रवंशी ने कहा की अधिकारियों की मनमानी व सरकार की तानाशाही के चलते किसानों को 2 वर्षो के बाद भी उनका अधिकार- लाभांश राशि नहीं मिल पाना दुखद है। वर्ष 2018-19 और 2019- 20 में गन्ना पेराई से रिकवरी क्रमशः 10: और 10.91: रिकवरी प्राप्त हुआ था । जबकि गन्ना पेराई से रिकवरी 9.5: से अधिक प्राप्त होने पर किसानों को लाभांश राशि वितरित करने का प्रावधान है। 2 वर्ष बाद भी किसानों को लाभांश की राशि जारी नहीं कर सरकार किसानों के पैसे को दबाए बैठी है- शासन प्रशासन और कारखाना प्रबंधन को किसानों को अतिशीघ्र लाभांश राशि जारी करे वही दूसरी ओर सरकार और प्रबंधन के द्वारा 2 वर्षो से रियायत दर पर मिलने वाले शक्कर को भी बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन और लौहपुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया अतिशीघ्र किसानों को लाभांश राशि जारी करे नही तो नगाड़ा लेकर शक्कर कारखाना पंडरिया का घेराव किया जाएगा

दो साल में 24 वादें पूरे , पांच साल में सभी वादें होंगे पूरें : प्रभारी मंत्री

कवर्धा(नवप्रदेश)। कबीरधाम जिले की प्रभारी व महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष की उपलब्धियां बताई। उन्होने सर्किट हाउस कवर्धा में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश के 18 लाख किसानों का करीब 9 हजार करोड़ रूपए अल्पकालीन कृषि ऋण माफ, जल कर के रूप में 17 लाख किसानों का 244 करोड़ रुपए बकाया माफ, बस्तर जिले में किसानों की 1764.61 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि वापस, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू, 19 लाख से अधिक किसानों को 5750 करोड़ रुपए की आदान सहायता चार किश्तों में, तीन किश्तों में 4500 करोड़ रूपए का भुगतान, अंतिम किश्त आगामी मार्च महीने में दी जाएगी। हमारी सरकार ने देश में अपने तरह की पहली अनूठी योजना-गोधन न्याय योजना शुरू की, जिसके तहत 2 रुपए किलो की दर से गोठानों में गोबर की खरीदी की जा रही। इस योजना के माध्यम से जैविक खेती, पशुओं की देखभाल के साथ फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, साथ ही किसानों की अतिरिक्त आय का यह जरिया साबित हुई है। गोधन न्याय योजना के तहत अब एक करोड़ 36 लाख गोबर विक्रेताओं को 59 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राज्य सरकार ने गोठानों में निर्मित वर्मी कम्पोस्ट की न्यूनतम विक्रय दर को 8 रूपए से बढ़ाकर 10 रूपए कर दिया है। प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पिछले दो वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य का विकास हो रहा है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम गड़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ काम कर रहे है।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

हाई-टेक बस स्टैंड...

मनरेगा से दिलाया रोजगार

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा की राज्य सरकार ने मनरेगा में मजदूरों को संकट काल में बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराने के साथ राज्य सरकार ने वनवासियों को वन अधिकार दिलाने, लघु वनोपजों के संग्रहण, पशुधन के संरक्षण संवर्धन तथा उनके सुरक्षा के लिए गौठान का निर्माण, हॉट बाजारों में जाकर आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए योजनाएं लागू की। बच्चों को प्रारंभ से ही अंग्रेजी शिक्षा देने का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नगरीय क्षेत्र के हितग्राहियों को फ्री होल्ड पट्टा का वितरण किया तथा नगरपालिका परिषद के प्रतिनिधियों को नगर के विकास की चाबी सौंपी।

हाईटेक बस स्टैण्ड जनता को समर्पित

पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा की कोविड़-19 के कारण कोरोना संक्रमण काल में भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अगुवाई में विकास मूलक कार्य बाधित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कर कमलों से गुणवत्तापूर्ण, सुविधायुक्त पर्याप्त जगह वाला हाईटेक बस स्टैण्ड यहां कि जनता को समर्पित है। राज्य सरकार प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए कई उल्लेखनीय काम कर रही हैं। शहरी क्षेत्रों में पट्टा देने, राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टों का नवीनीकरण, भूखंडों का स्वामित्व देने का निर्णय लिया गया, प्रत्येक व्यक्ति को राशन कार्ड दिए गए।

दो साल में दिखने...

दो वर्षों में पूरा किए घोषणा पत्र के वादे

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को उनके अभिमान और स्वाभिमान को एहसास कराने में सफल रहे है। जबकि पूर्व भाजपा शासनकाल में छत्तीसगढ़ को शोषण और भ्रष्टाचार का राज बना दिया गया था। लोहा और पानी बेचने का बाजार बना दिया गया था, जिसे भूपेश सरकार ने फिर से संवारने व सजाने काम काम किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने प्रदेश में विकास करने का काम किया है। अपने घोषणा पत्र में किए गए अधिकांश वादों को इन दो वर्षों में पूरा किया है।

छत्तीसगढ़ बोली को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया

श्री चौबे ने कहा कि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में प्रदेश की अस्मिता की पहचान खत्म होने लगी थी। यहां की संस्कृति व धरोहरों की पहचान विलुप्तता की ओर थी, जिसे हमारी सरकार द्वारा न केवल बचाने का काम किया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर यहां की बोली को पहुंचाया भी है। श्री चौबे ने कहा कि कोविड-19 के चलते जरूर प्रदेश का काम प्रभावित हुआ है, लेकिन एक ओर जहां पूरे देश में आर्थिक, व्यावसायिक गतिविधियां ठप रही, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां विपरित रही। कोविड-19 के बावजूद प्रदेश में लोग व्यवसाय करते रहे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं यहां की सरकार, शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों, चिकित्सकों व मीडिया कर्मियों को भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने कोरोना काल में जवाबदारी से अपना काम किया। सभी के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां सही रहीं।

किसानों के शुरू की राजीव गांधी न्याय योजना

कृषि मंत्री श्री चौबे ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड-19 हेतु राहत पैकेज के रूप में मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रूपये की राशि घोषित की थी। उक्त राशि में से गरीबों व किसानों को एक रूपये का भी लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना की शुरूआत की, जिससे कोरोना कॉल की मंदी में भी छत्तीसगढ़ का बाजार गुलजार रहा। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के किसानों से वादा किया था कि उनका धान 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस वादे को भी पूरा करना चाहा लेकिन केन्द्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि केन्द्र की तय दर से अधिक कीमत पर राज्य सरकार किसानों से धान खरीदी करती है तो उनका चावल नहीं लिया जाएगा। केन्द्र सरकार की इस शर्त के बावजूद हमने किसानों से 2500 रूपये प्रति क्विंटल में धान खरीदने के लिए न्याय योजना लाया और किसानों से किया वादा हमने पूरा किया।

मोदी ने किया दुनिया...

इनकी क्षमता क्रमशः 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन, 7 करोड़ लीटर, 7 करोड़ लीटर और 3 करोड़ लीटर प्रति दिन होगी। मांडवी का संयंत्र दो साल में पूरा होगा और इस पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

श्री मोदी ने अमूल ब्राण्ड से जुड़ी कच्छ जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड यानी सरहद डेयरी की ओर से अंजार और भचाऊ के बीच 129 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेने वाले दो लाख लीटर क्षमता वाले दूध के चिलिंग प्लांट का भूमिपूजन भी किया। इसकी क्षमता बाद में बढ़ा कर चार लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202012101000070/123
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कुरुद प.ह.न. 00050 (1608/1(1.6600हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार- श्रीमती कृष्णा सरकार
अनावेदक पक्षकार- छ.ग. शासन

आवेदिका श्रीमती कृष्णा सरकार पति स्व. तापस सरकार निवासी दिलीप परिसर कैलाश नगर भिलाई द्वारा ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 अ रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1608, 1609 के आवासीय फ्लेट प्रकोष्ट क्रमांक 137 ब्लाक क्रं. 09 दिलीप परिसर कैलाश नगर भिलाई के तृतीय तल पर आवासीय मकान भूमि रकबा 700 वर्गफीट के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी तापस सरकार आ. स्व. रमेश सरकार की मृत्यु दिनांक 03.05.2019 को हो जाने का कारण फौती नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय, मृत्यु प्रमाण पत्र, विक्रय पत्र आदि की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 26.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयवधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 08.12.2020 को जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202012101000106
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कोहका प.ह.न. 00019 हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार- तेज बहादुर सिंह
अनावेदक पक्षकार- किशोर कुमार बैद

आवेदक तेज बहादुर सिंह आ. रामसागर सिंह निवासी राजीवनगर खुर्सीपार भिलाई द्वारा ग्राम कोहका प.ह.न.19 रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 642/1 रकबा 0.540 हे. मे से 0.21 हे. भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर विक्रेता किशोर कुमार बैद आ. स्व. भंवरलाल बैद निवासी वर्धमान नगर राजनांदगांव से क्रय किया है कि नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनामा की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयवधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 11.12.2020 को जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक डॉ. गिरिराज किशोर अरोरा आ. बांकेलाल साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम चिखली प.ह.न. 11 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 358/83 रकबा 0.037 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता कोमल माखीजा आ. विनोद माखीजा से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 28.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202012101000107
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कोहका प.ह.न. 00019(642/1(0.5400 हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार- रोहित कुमार ढवले
अनावेदक पक्षकार- किशोर कुमार बैद

आवेदक रोहित कुमार ढवले आ. अशोक कुमार ढवले निवासी स्मृति नगर जुनवानी भिलाई द्वारा ग्राम कोहका प.ह.न.19 रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 642/1 रकबा 0.540 हे. मे से 0.33 हे. भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर विक्रेता किशोर कुमार बैद आ. स्व. भंवरलाल बैद निवासी वर्धमान नगर राजनांदगांव से क्रय किया है कि नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनामा की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयवधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 11.12.2020 को जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका आशा सिंह पिता/पति सुरेश सिंह निवासी म.नं. 681 आशा नगर कातुलबोर्ड दुर्ग मौजा सिकोला प.ह.नं. 17/08 रा.नि.मं. तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 296/42 रकबा 0.007 हे. 800 वर्गफीट भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार रंजीत कौर पिता/पति अमरजीत सिंह से दिनांक 07.02.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 16.12.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक खेमलाल देशमुख आ. स्व. पुहुपराम साकिन पीसेगांव द्वारा ग्राम पीसेगांव प.ह.न. रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 266, 268/2, 557, 724/2, 725/2 रकबा कुल. 0.630 हे. जो उसके स्व. पुहुपराम आ. मंगलू के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 31.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-2/ 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक संतूराम आ. बनऊवा निवासी ग्राम जंजगिरी तह. धमधा जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम/शहर जंजगिरी प.ह.न. 49 में स्थित भूमि स्वामी हक भूमि खसरा नंबर 203/146 रकबा 0.101 हें/ 10868 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु पुनः निर्धारण के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 के तहत प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, धमधा जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-2/ 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका लता वर्मा पिता/पति हुकुमचंद वर्मा निवासी वार्ड क्र. 05 अहिवारा तह. धमधा जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम/शहर जंजगिरी प.ह.न. 49 में स्थित भूमि स्वामी हक भूमि खसरा नंबर 312/27 रकबा 0.009 हें/ 1000 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु पुनः निर्धारण के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 के तहत प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, धमधा जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2019-20

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कृष्णा निषाद पिता धीरपाल निषाद निवासी ग्राम चंगोरी मौजा चंगोरी प.ह.न. 30 रा.नि.मं. तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 207, 258, 257 रकबा 0.18, 0.17, 0.14 हे. धीरपाल निषाद के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 14.11.2020 को हो जाने के कारण वारीसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 26.12.2020 अथवा प्रकाश तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति/ दावा आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 09.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक हकप्राप्तकर्ता रमेश कुमार पिता आनंदराम व अन्य 01 निवासी ग्राम जंजगिरी मौजा जंजगिरी प.ह.नं. 37 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 130, 181/3 रकबा 0.410, 0.110 हे. मे से 0.205, 0.055 हे. भूमि को हकत्याग कर्तागण धनकुवर हकत्याग आनंदराम अन्य 1 से रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 29.12.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका चित्ररेखा राजपूत एवं अन्य पति नरेन्द्र सिंह राजपूत निवासी रानीलक्ष्मी बाई तह. साजा जिला बेमेतरा मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. दुर्ग 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 180/1 रकबा 1.391 हे. मे से 0.018 अर्थात 1897 वर्गफीट भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार रामाधार ठेठवार पिता स्व. लक्ष्मण ठेठवार से दिनांक 19.08.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 16.12.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-27/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक कमल किशोर पिता स्व. तुलाराम देशमुख अन्य 4 साकिन रिसाली तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम रिसाली प.ह.नं. 22 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 498/1 रकबा 1.664 हे. भूमि को आपसी बंटवारा के आधार पर पक्षकार के मध्य पृथक-पृथक कर नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिस पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 30.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रत्ना दुफारे पति नामदेव दुफारे वगै. साकिन सेक्टर 07 भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 621/44 मे से रकबा 0.014 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.10.2020 के आधार पर विक्रेता आम मुख्तयार निर्मल बुन्देला पिता स्व. चमनलाल बुन्देला के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 21.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका टोपेश्वरी वर्मा पति भूपेशचंद वर्मा साकिन न्यू कालोनी गयानगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 621/44 मे से रकबा 0.014 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.10.2020 के आधार पर विक्रेता आम मुख्तयार निर्मल बुन्देला पिता स्व. चमनलाल बुन्देला के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 21.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रितान्जली बेहेरा पति राजेन्द्र बेहेरा साकिन सुंदरगढ़ उड़ीसा तह. व जिला के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 621/44 मे से रकबा 0.012 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.11.2020 के आधार पर विक्रेता आम मुख्तयार निर्मल बुन्देला पिता स्व. चमनलाल बुन्देला के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 21.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका प्रीति नन्दा बेहेरा पति देवेन्द्रनाथ बेहेरा साकिन अवधपुरी रिसाली तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 621/44 मे से रकबा 0.012 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.10.2020 के आधार पर विक्रेता आम मुख्तयार निर्मल बुन्देला पिता स्व. चमनलाल बुन्देला के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 21.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

कृषि बिल किसानों के हित में, राज्य सरकार किसानों को कर रही गुमराह- श्रीवास्तव

नवप्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों को लुभाने वाली घोषणाओं के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर रहा है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को लेकर कहा है कि यह बिल किसानों के हित में है। वर्षों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक बिल लाया गया है। उन्होने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह न करें। वर्षो तक कांग्रेस ने देश में राज किया, कभी भी किसानों के हित में फैसले नहीं लिए गए।

श्री श्रीवास्तव ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अनेक आरोप लगाए। किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने पत्रकारवार्ता ली। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि 58 वर्षों से जब केंद्र एवं राज्य में उनकी सरकार थी तब किसानों के बारे में कभी नहीं सोचा, जब भाजपा की मोदी सरकार ने किसानों के जीवन की उन्नति और हितों के लिए तीन कानून लाए हैं, तब कांग्रेस को लगने लगा कि किसानों के बीच में उनकी जमीन हिलती हुई दिख रही है तो किसानों को बरगलाकर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा करके केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम प्रकार के षड्यंत्र करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने झूठ का मतलब कांग्रेस कहते हुए तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम ही झूठ बोलना है। कहा कि ऐसे समय में भाजपा की राष्ट्रीय इकाई ने इस बात को तय किया कि झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। राज्य की भूपेश सरकार का एक ही काम रह गया है केंद्र की बातों का विरोध करना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी के सुझाव को सुनती नहीं है, किसान हितैषी की बात करती है तो ईमानदारी के साथ में धान खरीदी की आवश्यकता है। कहा कि प्रदेश में किसानों के आत्महत्या और नकली कीटनाशक बिक्री की बातें सामने आ रही है, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है।

श्री श्रीवास्तव ने चर्चा में आगे कहा कि कृषि कानून की जो अच्छाई एवं फायदे हैं, उन बातों को किसान महापंचायत के माध्यम से सोसायटी व आसपास जाकर किसानों से बातचीत करके उनके लाभ बताए जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर तक कृषि कानून के जो फायदें हैं, उन्हें पहुंचाने का प्रयास भाजपा कार्यकर्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने पहले ही कार्यकाल से किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रही है। कृषि बिल किसानों के हित में है, इस विधेयक से देशभर में किसानों को उपज बेचने के लिए वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पहले इन विधेयकों का समर्थन किया जा रहा था, लेकिन अब इस पर राजनीति कर रही है। कहा कि कांग्रेस का केवल एक काम ही बच गया है और वह है झूठ बोलना।

कहा कि किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए संसद के समक्ष तीन बिल (विधेयक) लाए गए। इन विधेयकों को कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लाया गया है। इसमें आवश्यक वस्तु (संसोधन) विधेयक, किसान व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते पर मूल्य निर्धारण अध्यादेश शामिल है। कहा कि कृषि अध्यादेशों से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा, ये तीनों अध्यादेश बहुत दूर-दृष्टि वाले हैं।

कांग्रेस पार्टी का काम हर जनकल्याणकारी योजनाओं में राजनीति करना है। कहा कि एमएसपी पर कांग्रेस के बयान को झूठा बताते हुए कहा कि सदन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि एमएसपी पर पहले की तरह खरीदी जारी है और रहेगी। किसान अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी बेरोक-टोक अपनी उपज बेचकर दाम ले सकेंगे। किसान दलालों से मुक्त होकर सीधे खरीददार से जुड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस यह झूठ बोलकर किसानों में भ्रम का वातावरण तैयार कर रही है कि किसान अपनी उपज मंडी समिति के बाहर बेचेगा तो मंडी समाप्त हो जाएगी, जबकि किसानों के पास विकल्प खुले रहेंगे वह जहां चाहे उपज बेचेगा और मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। कहा कि किसानों के व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश के ज़रिए किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए सुविधा प्रदान की गई है। इसके पास होने के बाद किसान मंडी के बाहर भी अनाज बेच सकेंगे। इस बिल के जरिए ये जानकारी भी दी जाएगी कि किस जगह कितना दाम चल रहा है और आगे चलकर क्या दाम रहने वाला है।

प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता विधेयक कांट्रैक्ट फार्मिंग (रेगहा) पर आधारित है। यह विधेयक इसलिए जरूरी है क्योंकि देश मे सब लोग खेती नहीं करते हैं, इसलिए इसके माध्यम से एक समझौता किया जाएगा। अगर कांट्रैक्ट खेती करने वाला जमीन पर कोई निवेश भी करता है तो ऐसी स्थिति में भी जमीन का मालिकाना हक किसान के पास ही रहेगा।

न्यूज गैलरी

19 दिसंबर तक घर-घर जाकर होगा असाक्षरों का सर्वे

गरियाबंद। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत चन्द्रकांत वर्मा के निर्देशानुसार राज्य में संचालित केन्द्र प्रवर्तित पढ़ना लिखना अभियान साक्षरता कार्यक्रम में असाक्षरों के सर्वे हेतु ग्रामीण एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में गठित सर्वे प्रभारी एवं सर्वे सहायकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। पढ़ना लिखना अभियान पूरे राज्य में पाँच वर्ष तक संचालित होनी है। इसके प्रथम चरण 2020-21 में 43 ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका गरियाबंद व नगर पंचायत के 28 वार्डो का चयन किया गया है। नगर पालिका के महात्मा गांधी वार्ड क्र. 03, नया तालाब वार्ड क्र. 04, रावनभाठा वार्ड क्र. 07, डाक बंगला वार्ड क्र. 08, सुभाषचंद्र बोस वार्ड क्र. 11 एवं नगर पंचायत राजिम, नगर पंचायत छुरा व नगर पंचायत फिंगेश्वर के चिन्हांकित वार्डो में इस वर्ष प्रारंभ होना है। इसके लिए पंचायत प्रभारी, वार्ड प्रभारी एवं सर्वे प्रभारी व सहायकों की नियुक्ति की जा चुकी है। सर्वे 14 दिसंबर को प्रारंभ होगा और 19 दिसंबर तक सर्वे कार्य चलेगा। इस दौरान सर्वेदल द्वारा घर-घर जाकर प्रत्येक लोगों की जानकारी लेकर उनका सर्वे किया जावेगा। साथ ही साथ प्रत्येक 10 असाक्षर पर एक केन्द्र और उसके लिए स्वयंसेवी शिक्षकों का चयन किया जावेगा। स्वयंसेवी शिक्षक एनसीसी व एनएसएस के छात्र, पूर्व छात्र, पूर्व प्रेरक, मनरेंगा के मेट, पूर्व सेवानिवृत शिक्षक भी हो सकते है। सर्वे में प्रपत्र 01 में असाक्षरों का आधार नंबर, मकान नंबर, मोबाईल नंबर, जाति वर्ग इत्यादि जानकारी एकत्र की जावेगी। जिसका गोश्वारा प्रपत्र 02 में होगा जिसमें सरपंच/पंच/पार्षद का हस्ताक्षर भी कराया जावेगा। ऑनलाईन प्रविष्टि का कार्य भी गरियाबंद के साक्षरता कार्यालय में होगा। असाक्षरों को 120 घण्टे अध्यापन कराया जावेगा। जिसके बाद परीक्षा में उन्हें सम्मिलित किया जावेगा। ग्रामीण के 43 पंचायतों में 6000 का लक्ष्य निर्धारित है। इसी प्रकार नगरीय निकायों में 04 नगरीय निकाय में 2000 का लक्ष्य निर्धारित है। जिसमें 75 प्रतिशत महिला एवं 25 प्रतिशत पुरूष वर्ग होगें। सर्वे प्रभारियों का प्रशिक्षण में कुशल प्रशिक्षक अर्जुन धनजय सिन्हा, चंद्रिका साहू , शंकर लाल यदु, मोहनी गोस्वामी, सदानंद सर्वाकर, इन्द्रप्रीत कौर कुकरेजा, प्रतिभा सकरिया, श्री मनोज कुमार साहू, युगल किशोर कश्यप, भुनेश्वर प्रसाद साहू, धमेन्द्र सिंह ठाकुर, नेतराम साहू, द्रोण कुमार साहू द्वारा सर्वे के दौरान उनके द्वारा की जाने वाले कार्य एवं दायित्वों को समझाया। साथ ही सर्वे में 15 वर्ष से उपर के लोगों को जो असाक्षर है उनका सर्वे कर प्रपत्र 01 एवं 02 भरकर साक्षरता कार्यालय में 19 दिसंबर तक जमा करने कहा गया है।

सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया मतदान केंद्रो का निरीक्षण

बेमेतरा। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा हेतु सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा ने गत दिवस जिले का भ्रमण कर कार्य का निरीक्षण किया और निर्वाचन कार्य को प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा ने 69 बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बैजी एवं पिकरी तथा बेरला तहसील के सरदा व रामपुर स्थित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर अभिहित अधिकारी से प्राप्त दावा आपत्तियों के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिये। उन्होने तहसील कार्यालय बेमेतरा एवं बेरला में दावा आपत्ति फार्मो की एण्ट्री एवं व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली तथा मतदान केन्द्रों में जमा किये गये सभी फार्मो का निराकरण समय-सीमा में 31 दिसम्बर 2020 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये तथा ईआरओ नेट में एण्ट्री कार्य हेतु पर्याप्त संख्या में आपरेटर एवं कम्प्यूटर लगाने के निर्देश तहसीलदार को दिये। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार आशुतोष गुप्ता, सुश्री हीरा गर्वना, नायब तहसीलदार राजकुमार मरावी तथा निर्वाचन पर्यवेक्षक संतोष नामदेव उपस्थित थे।

दस्तावेज जमा नहीं वसूली में लेट लतीफ देख पंचों सहित ग्रामीणों में रोष

नवप्रदेश संवाददाता

देवभोग। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कागजी कार्यवाही में अक्सर तेजी देखा जाता है। लेकिन लाखों के सौलर लाईट मामला को लेकर लेट लतीफ देख ग्रामीणों द्वारा मामला को निपटाने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि 10 दिन बीतने के बाद भी जनपद पंचायत द्वारा प्रकरण दर्ज करने के लिए कागजी दस्तावेज अब तक एसडीएम कार्यालय नहीं भेजा है । ऐसे मैं जिम्मेदार अधिकारियों पर तरह-तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं ।उल्लेखनीय हो कि ब्लॉक के पूरनापानी करचिया झाखरपारा रोहनागुड़ा मौकागुड़ा सहित 16 पंचायत में 14वें वित्त मद के नियमों को ठेंगा दिखाकर एक मुस्त लाखों रुपए से सौलर लाइट खरीद लिया और अलग से खर्च कर गली मोहल्ला पर लाइट लगा लिया जिसकी शिकायत जिला पंचायत पहुंचते ही जांच कर वसूली की कार्यवाही के लिए बीते 10 दिसंबर को जारी किया गया क्योंकि मामला 61 लाख से ज्यादा का है । इसलिए तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ ने मामला को गंभीरता से लेते हुए वसूली की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया लेकिन अब तक जनपद पंचायत द्वारा कागजी दस्तावेज एसडीएम कार्यालय नहीं भेजा है। जिसके चलते प्रकरण तक दर्ज नहीं हो पाया है। ऐसे में इन पंचायत के ग्रामीण एवं पंचों को कार्यवाही के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा यहां बताना लाजमी होगा कि 2019 - 20 सत्र मैं शासन द्वारा पंचायत को 14वें वित्त मद के तहत लाखों रुपए आवंटित किया रहा जिसे गांव की जरूरत एवं गाइडलाइन के अनुसार विकास कार्यो में खर्च किया जाना था लेकिन पंचायत के सरपंच सचिव ने एक नग सौलर लाइट को क्रेडा विभाग से लेना छोड़कर मार्केट से 16500। रूपेय में खरीदा और लगाने के लिए अलग से खर्चा कर शासन को चूना लगाया गया है। जिसके मद्देनजर जिला पंचायत से वसूली की कार्यवाही के लिए डंडा चलाया मगर जनपद पंचायत से दस्तावेज भेजने की लेटलतीफी से वसूली को ठंड वस्था में डाल रखा है।

मामला सामने आते ही 16 पंचायतों से वसूली की कार्रवाई के आदेश

> हमने दस्तावेज भेजने के लिए कहा है जैसे ही दस्तावेज प्राप्त होगी तत्काल प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किया जाएगा।
>
> **अनुपम आशीष टोप्पो,** एसडीएम

'रेस' की प्रशिक्षण में पहुंचे कलेक्टर

गरियाबंद। जिला मुख्यालय स्थित शासकीय वीर सुरेन्द्र साय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय में जिला प्रशासन रत्नगर्भा अकादमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ''रेस'' छत्तीसगढ़ पी.एस.सी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हेतु आयोजित 60 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर और जिला पंचायत के सीईओ चन्द्रकांत वर्मा ने विगत संध्या प्रशिक्षण का आकस्मिक जायजा लिये। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों का तीसरा बैच का प्रशिक्षण चल रहा था। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने प्रशिक्षाणार्थियों से आत्मीयतापूर्वक चर्चा करते हुए प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने उनके सुझाव आमंत्रित किये। कलेक्टर ने अब तक के प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी ली। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों का हौसला ऑफ्जाई करते हुए सफलता हेतु कड़ी मेहनत करने की बाते कही। सीईओ श्री वर्मा ने प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी के दौरान टाइम मैनेजमेंट के संबंध में अवगत कराया। इस अवसर पर जनपद पंचायत छुरा की सी.ई.ओ सुश्री रूचि शर्मा, जनपद पंचायत गरियाबंद की सीईओ श्रीमती शीतल बंसल, विषय-विशेषज्ञ प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे।

प्रदेश पंचायत सचिव संघ करेंगे चरणबद्ध आंदोलन

लवन/नवप्रदेश। छ.ग. प्रदेश पंचायत सचिव संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विगत 25 वर्षो से संघर्षरत है। फिर भी शासन द्वारा सचिवों की जायज मांगों को आज तक पूर्ण नहीं किया गया, बल्कि समय-समय पर लॉलीपाप देकर आंदोलन को समाप्त कर दिये। जिससे पुनः सचिवों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के जिला प्रवक्ता हरिकिशन वर्मा ने बताया कि छ.ग. प्रदेश पंचायत सचिव संघ के प्रदेशाध्यक्ष तुलसी साहू के मुख्य आतिथ्य में प्रदेश स्तरीय सचिवों की बैठक कर्मचारी भवन बुढ़ापारा रायपुर में आयोजित किया गया था जिसमें सभी जिला के अध्यक्ष पदाधिकारियों एवं प्रदेश कार्यकारिणी एवं 146 ब्लॉक अध्यक्षों की सहमति से अपनी वर्षो से लंबित मांगों में से एक सुत्रीय मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। जिसे 4 चरणों में विभिक्त कर दिया गया है। तीन चरणों में शासन प्रशासन को अपनी मांग को मनवाने के लिये ज्ञापन एवं मांग पत्र सौंपा जायेगा। यदि 3 चरणों तक सरकार द्वारा किसी प्रकार की सकारात्मक रवैया नहीं अपनाने एवं एक सुत्रीय मांग को पूर्ण नहीं करने की स्थिति में चौथे चरण पर चरणबद्ध आंदोलन ब्लॉक स्तर पर काम बंद, कलम बंद आंदोलन करते हुए अनिश्चित कालीन हड़ताल प्रारंभ की जावेगी।

प्रवक्ता हरिकिशन वर्मा ने आगे बताया कि प्रदेश में कार्यरत सभी 11 हजार सचिवों द्वारा 32 विभागों की सम्पूर्ण योजनाओं को धरातल स्तर पर लागु करते हुए अपनी दायित्वों को सफलता पूर्वक निर्वहन करते आ रहे है। सचिव द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास के साथ-साथ सभी विभागों की जानकारी को समन्वय बनाकर संकलित करते है। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिये जब लोग दूर भाग रहे थे तब पंचायत सचिव प्रवासी मजदूरों को साथ रहने की व्यवस्था खाने-पीने की व्यवस्था से लेकर सम्पूर्ण ईलाज के लिये रात दिन डटे रहकर संक्रमण को रोकने के लिये अपनी जान को जोखिम में डालकर छ.ग. के लाखों प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित रखने में अपने परिवार एवं बाल बच्चों को भी त्याग दिया था।

नवागढ़ मण्डल प्रशिक्षण शिविर शुरू, बूथों से पहुंचे कार्यकर्ता

नवागढ़/नवप्रदेश। अखिल भारतीय मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण योजना के तहत नवागढ़ मण्डल में दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 15 से 16 दिसंबर तक जायसवाल धर्मशाला नवागढ़ में किया गया है। जिसके उद्घाटन सत्र में अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश पांडेय, भिलाई जिलाध्यक्ष सांवला राम डहरे एवं बेमेतरा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जोशी शामिल हुए। साथ ही प्रशिक्षण के प्रमुख वक्ता के रूप में प्रदेश मंत्री संध्या परगिनहा, जिला महामंत्री विकास धर दीवान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय तिवारी, जिला उपाध्यक्ष टार्जन साहू भी उपस्थित रहें। इस दौरान सैकड़ो की संख्या में नवागढ़ मण्डल के प्रत्येक बूथ से लगभग 300 कार्यकर्ताओं ने पंजीयन करा कर प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण का आरम्भ दीपप्रज्वलन एवं ध्वजारोहण के साथ हुआ। जिसके पश्चात मण्डल अध्यक्ष चन्द्रपाल साहू ने स्वागत भाषण में मण्डल की संक्षिप्त परिचय एवं प्रशिक्षण के रूपरेखा सम्बन्ध में जानकारी दी।

राकेश पांडेय ने कहा कि प्रशिक्षण में उन्होंने अलग अलग मंडलो का दौरा किया लेकिन जो संगठन एवं अनुशासन नवागढ़ में नजर आया वह कही नही मिला। नवागढ़ की भूमि वास्तव में पवित्र है,यहाँ से जिस नेता को चुना गया वह प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे हैं। जिलाध्यक्ष डहरे ने कहा कि संगठन में प्रशिक्षण का विशेष महत्व है, यह उसकी कार्य क्षमता का विस्तार करता है। भाजपा ने हमेशा से हर वर्ग को साथ लेकर विकास के लिये काम किया है

संसदीय सचिव आज गरियाबंद जिले के दौरे पर

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय कार्य, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट विभाग के संसदीय सचिव सुश्री शंकुतला साहू 16 दिसम्बर बुधवार को गरियाबंद जिले के दौरे पर रहेंगे। सुश्री साहू दोपहर 12 बजे निज निवास ग्राम रसौटा पलारी से गरियाबंद के लिए कार द्वारा प्रस्थान कर 02.30 बजे गरियाबंद पहुंचेंगे। अपरान्ह 03 बजे जिला कार्यालय के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से देंगे।

इंद्र साव ने किया क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ

भाटापारा/नवप्रदेश। स्थानीय रावण भाठा खेल मैदान में भारतीयम स्पोर्टस क्लब के तत्वाधान में स्व.टिकेश्वर साहू की स्मृति में शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ कांग्रेस पिछड़ावर्ग प्रदेश उपाध्यक्ष इन्द्र साव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। मुख्य अतिथि द्वारा भारत माता की पूजा अर्चना पश्चात बेटिंग कर क्रिकेट मैच का विधिवत शुभारंभ किया गया । इस अवसर पर इन्द्र साव ने खिलाड़ियों एवम् खेल प्रेमियो को सम्बोधित करते हुए कहा यह मेरा प्रयास होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की मंशानुरूप रावण भाठा खेल मैदान को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए। नगर की खेल प्रतिभाओ को निखारना हमारी प्राथमिकता होगी । उन्होंने खिलाड़ियों की उज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी ।

शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में लगभग 50 टीम भाग ले रही । इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 15001, द्वितीय 8001,मैन ऑफ द सीरीज,मैन ऑफ द मैच,बेस्ट बॉलर,बेस्ट बेट्स मेन,बेस्ट कैच,बेस्ट फिल्डर,बेस्ट अम्पायर, बेस्ट दर्शक सहित कई आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे ।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सुशीला देवी आ. पी.आर. द्विवेदी साकिन रिसाली द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 511/65 रकबा 0.03 हे. को उसके स्व पी.आर. द्विवेदी के द्वारा उसके नाम पर वसीयतनामा निष्पादित किया है। के आधार पर नामान्तरण किये जाने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 30.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अति. तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक शशि कुमार पटेल आ धनुष पटेल साकिन जेवरा द्वारा ग्राम जेवरा प.ह.न. 13रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 481 रकबा 0.020 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता शहनाज बेगम आ स्माईल रजा खान से क्रय किया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 24.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.12.200को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अति. तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक भागवत देशमुख आ स्व0 चतुर सिंह देशमुख साकिन समोदा द्वारा ग्राम समोदा प.ह.न.13 रा.नि.मं.01 दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 201/1, 556/1, 574 रकबा 1.42, 010, 0.5 हे. कुल 1.57 हें जो उसके स्व चतुर के नाम पर दर्ज है कि फौती दर्ज किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 07.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अति. तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री संजय जाधव पिता एम.जी. जाधव साकिन रुआबांधा सेक्टर भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 621/51 मे से रकबा 0.009 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2020 के आधार पर विक्रेता निर्मल बुन्देला पिता स्व. चमनलाल बुन्देला के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 21.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-20(3) वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012103800002

आवेदक प्रशांत सिंह गुप्ता आ. स्व. अजीत सिंह गुप्ता निवासी आपापुरा वार्ड क्रं. 31 दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग स्थित नजूल शीट क्रमांक 30 सी प्लाट नं. 169/1 रकबा 1611.480 वर्गमीटर भूमि धारकगण अजीत सिंह गुप्ता आ. स्व. बहादुर सिंह गुप्ता, अजय सिंह गुप्ता आ. स्व. बहादुर सिंह गुप्ता निवासी आपापुरा दुर्ग के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। सहधारक अजीत सिंह गुप्ता की मृत्यु दिनांक 28.12.2018 को हो चुकी है। मृतक सहधारक के वारिसान उनकी पत्नि श्रीमती नीलिमा गुप्ता, पुत्र प्रशांत सिंह, पुत्री सोनाली है। आवेदक द्वारा मृतक सहधारक का नाम विलोपित कर उनके वैध वारिसानों का नाम नजूल अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 30.12.2020 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी-राजस्व

ईश्तहार

मा.क्रं. 202011100900056
विषयः अ-121 वर्ष 2020-21
परसाही प.ह.न.00028
पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार- रामदवन सिंह
अनावेदक पक्षकार- छ.ग. शासन

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम परसाही प.ह.न. 28 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक देवेन्द्र सिंह आ. रामदवन सिंह के तरफ से आम मुख्तयार रामदवन सिंह आ. स्व. बेचन सिंह निवासी ग्राम परसाही तह. पाटन जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम परसाही प.ह.न. 28 तहसील पाटन जिला दुर्ग स्थित देवेन्द्र प्रताप सिंह आ. रामदवन सिंह के नाम दर्ज भूमि खसरा नं. 65/127/169 रकबा 2.63 हे. का प्राप्त ऋण पुस्तिका क्रमांक 211365 जीर्ण शीर्ण होने से उक्त मूल ऋण पुस्तिका निरस्त कर द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने हेतु आम मुख्तयार के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः आवेदक श्री देवेन्द्र सिंह आ. रामदवन सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उपरोक्त भूमि का आवेदक को द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 27.12.2020 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 18.11.2020 को जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक हाजी अय्युब चौहान आ. मो. इब्राहिम साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम कोलिहापुरी प.ह.न. 27 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 291/1 रकबा 1164 वर्गफीट हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता कन्हैयालाल आ. देवीप्रसाद से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 31.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी-राजस्व

ईश्तहार

मा.क्रं. 202012101000076
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कोहका प.ह.न. 00019(6176(0.0100 हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार-
बी.आर. विश्वकर्मा अन्य 06
अनावेदक पक्षकार- छ.ग. शासन

आवेदक बी.आर. विश्वकर्मा पिता स्व. तुलसीराम विश्वकर्मा अन्य 06 निवासी शांति नगर सुपेला भिलाई द्वारा ग्राम कोहका प.ह.न. 19 रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1676 रकबा 1650 वर्गफीट जो उसके स्व. पत्नी श्रीमती बेला रानी विश्वकर्मा पति बी.आर. विश्वकर्मा के नाम पर दर्ज है की फौती नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय खसरा बी-1, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 26.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयवधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 11.12.2020 को जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

वर्षों पुरानी मांग अब होगी पूरी

सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए दो करोड़ की राशि जारी

- **राज्य सरकार ने उजड़ते चिरमिरी को दी ऑक्सीजन वाली बड़ी वैक्सिन प्रशासकीय स्वीकृति आदेश मिलने के बाद पुरे शहर में खुशी का माहौल**

नवप्रदेश संवाददाता

कोरिया/चिरमिरी। चिरमिरी मे नवीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल भवन निर्माण कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उक्त कार्य शासी परिषद की बैठक दिनांक 08.07/2020 को अनुमोदन किया गया है। तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम सहपठित छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत 80 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल के तहत निम्नानुसार कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला सरगुजा (900) को क्रियान्वयन एजेन्सी नियुक्त किया जाता है। तहत जिले के एकलौते नगर पालिक निगम चिरमिरी को विधायक डॉ. विनय जायसवाल मनेंद्रगढ़ विधान सभा की मांग पर स्वीकृति प्रदान करते हुए एक करोड़ सड़सठ लाख चौवालीस हजार रुपए प्रथम क़िस्त के रूप में प्रदान की जाती है जो नगर पालिक निगम में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भवन हेतु देय होगी।

जानकारी अनुसार क्षेत्रिय विधायक डॉ. विनय जायसवाल ने अपने विधान सभा चुनाव के घोषणा पत्र में काले हीरे की नगरी वाले एक छोटे से शहर चिरमिरी को ऑक्सिजन देने वाली इस बड़ी मांग को रखा था जिसकी अपने दो वर्ष के कार्यकाल में शासकीय स्वीकृति दिलाते हुए उजड़ते शहर को पुनः स्थापित करने का काम किया जो बताने योग्य नहीं है। इस बड़ी मांग के लिए शहर के काबिज लोगो ने अक्सर इस बात की शिकायत कर अपना दर्द बयान किया था की इस पुरे शहर में छोटी-मोटी बीमारी के इलाज पर तो काम चल जाता है लेकिन बड़ी बीमारी के लिए हम लोगो को अपने शहर से 3 सौ से चार सौ किलो मीटर का लंबा सफर करना पढ़ता है । जिस कारण ऐसे कई गंभीर पीड़ित मरीजो को अपनी जान से हाथ धोना पढ़ा है ये इस शहर की एक बड़ी और पुरे शहर को पुनः जीवन देने वाली मांग है जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद पुरे शहर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है । वही शहर वासियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विधायक डॉ. विनय जायसवाल का आभार व्यक्त करते हुए एक दूसरे को बधाई देते दिख रहे है ।

हुल्ला पार्टी का हथियों को झुण्ड से मिलाने की मुहिम फेल, और हिंसक हुए हाथी

कोरबा। कटघोरा वन मंडल में झुण्ड से अलग हुए हाथियों को मिलाने के हुल्ला पार्टी हाथियों को खदेड़ने का प्रयास फेल साबित हो रहा है। अब झुण्ड से अलग हुए हठी और आक्रामक हो चुके है। हिंसक हाथियों के रस्ते जो भी आ रहा है उसे कुचलते जा रहे है। हुल्ला पार्टी के साथ तीन टीम बनाकर सोमवार को लगातार गश्त करती रही। लेकिन रात में चकमा देकर दोनों लोनर हाथी रेंज के पुटीपखना गांव पहुंच गए और उत्पात मचाते हुए दो ग्रामीणों के मकान ढहा तोड़ दिया जिस समय लोनर हाथियों ने सूनसान इलाके में स्थित इन मकानों को निशाना बनाया उस समय मकान में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था।

कटघोरा वन मंडल में हाथियों के आतंक से वनांचल थर्रा गया है और हाथी हिंसक होकर ग्रामीणों को मौत के घाट उतार रहे है। इसके बाद भी हाथियों से ग्रामीणों की सुरक्षा हुल्लापार्टी के भरोसे छोड़ दिया गया है। कहने को तो हाथी को खदेड़ने वन विभाग लाखो खर्च करती है लेकिन यह खर्च सिर्फ कागजो तक सिमित है असल में आज भी ग्रामीण अपने बलबूते पर हाथी से अपनी रक्षा कर रहे है।पुटीपखना में लोनर हाथियों के पहुंचने व दो मकानों को तोड़े जाने की जानकारी मिलते ही वन विभाग का अमला व हुल्ला पार्टी के सदस्य तत्काल गांव पहुंचे और वहां उत्पात मचा रहे लोनर हाथियों को खदेडने की कार्रवाई की।

वन अमले व हुल्ला पार्टी द्वारा खदेड़े जाने पर हाथी जंगल में जाकर छिप गए। पसान रेंज में सक्रिय 45 हाथियों का एक अन्य दल कारीमाटी गांव के जंगल में घूम रहा है। यह दल फिलहाल शांत है। कल लोनर हाथियों ने तनेरा सर्किल के ग्राम हरदेवा के घुटरापारा में पहुंचकर झोपड़ी में सो रहे एक ग्रामीण को सूड़ से उठाकर पटक दिया था, जिससे उसकी मौके पर तत्काल मौत हो गई थी।

व्यापारी के घर डकैती, दो आरोपी गिरफ्तार

नवप्रदेश संवाददाता

पखांजूर (नव प्रदेश)। पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक कांकेर एम आर आहिरे के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर जी एन बघेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पखांजूर मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में थाना पखांजूर पुलिस द्वारा डकैती के मामले में संलिप्त घटना के बाद फ़रार हुए । नागपुर में लुक छिप कर रह रहे दो आरोपियों गिफ्तार करल महत्वपूर्ण सफ्लता अर्जित की है मामले का विवरण इस प्रकार है की प्रार्थी विश्वजीत अधिकारी निवासी पिव्ही 122 ने थाना पखांजूर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 18/10/2020 को नकाबपोश अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी के घर में प्रवेश कर पिस्तौल दिख कर अपने को नक्सली बताते हुए 5,00000 नगदी एवं 2,00000 के सोने के जेवरात डकैती कर ले गए हैं थाना पखांजूर में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी थाना पखांजूर पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में विवेचना के दौरान प्रकरण में संलिप्त आरोपी अमित राय पिता रमेश राय उम्र 30 वर्ष निवासी पिव्ही 96 थाना छोटे बेठिया को गढ़चिरौली महाराष्ट्र से दिनांक 30/11/2020 को गिरफ्तार किया था आरोपी अमित राय के कब्जे से डकैती किए गए समस्त जेवरात घटना में प्रयुक्त सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जिंदा कारतूस एवं नकदी रकम एवं मोटर साईकिल भी जप्त किया गया था। थाना पखांजूर पुलिस द्वारा प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी राजू पाल निवासी पिव्ही 78 अनीश बनर्जी निवासी पखांजूर सुशील बैरागी निवासी पिव्ही 92 को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था आरोपियों के कब्जे से नगदी रकम भी जप्त किया गया था प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों का खुलासा होने पर पतासाजी की जा रही थी।